

भारत में राजनीतिक संस्थाएँ



सत्यमेव जयते

~ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

पुस्तक की सामग्री

संविधान का निर्माण: उपनिवेशवाद विरासत और योगदान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान

- I. औपनिवेशिक विरासत और भारतीय संविधान पर इसका प्रभाव
 - A. ब्रिटिश संवैधानिक कानून और भारत में उनका विकास
 - B. ब्रिटिश शासन के तहत प्रशासनिक और कानूनी संरचनाएँ
 - C. उपनिवेशवाद का सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव
- II. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संविधान निर्माण में योगदान
 - A. स्व-शासन और संवैधानिक सुधारों की प्रारंभिक मांगें
 - B. प्रमुख आंदोलन और उनका संवैधानिक महत्व
 - C. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक नींव और दृष्टि
 - D. आंदोलन से प्रमुख प्रस्ताव और दस्तावेज
- III. संविधान सभा और संविधान का निर्माण
 - A. संविधान सभा का गठन और संरचना
 - B. संविधान सभा का कार्य
 - C. संविधान सभा के सामने प्रमुख बहसों और चुनौतियाँ
 - D. संविधान को अपनाना और लागू करना
- IV. भारतीय संविधान की विशेषताएँ जो औपनिवेशिक विरासत और राष्ट्रीय आंदोलन को दर्शाती हैं
 - A. उधार ली गई विशेषताएँ और प्रभाव
 - B. अद्वितीय भारतीय योगदान और नवाचार
- V. संविधानों की तुलना

संविधान सभा: संरचना, वैचारिक आधार, संवैधानिक बहसों

- I. संविधान सभा की संरचना
 - A. पृष्ठभूमि और उत्पत्ति
 - B. गठन
 - C. चुनाव तंत्र
 - D. संरचना और प्रतिनिधित्व
 - E. प्रमुख सदस्य और व्यक्तित्व
 - F. उल्लेखनीय विशेषताएँ
 - G. कार्य अवधि
 - H. गठन में चुनौतियाँ
- II. वैचारिक आधार (दार्शनिक नींव)
 - A. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभाव
 - B. पश्चिमी राजनीतिक और संवैधानिक प्रभाव
 - C. सभा के भीतर विविध दार्शनिक धाराएँ
 - D. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संकल्प / मूल सिद्धांत और मूल्य
- III. संवैधानिक बहसों और प्रमुख मुद्दे
 - A. राज्य की प्रकृति
 - B. मौलिक अधिकार बनाम राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत
 - C. भाषा का मुद्दा

- D. प्रतिनिधित्व और चुनावी प्रणाली
- E. संघवाद
- F. न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा
- G. आपातकालीन प्रावधान
- H. संशोधन प्रक्रिया
- I. पंचायती राज और स्थानीय स्व-शासन
- J. लोक सेवाएँ और स्वतंत्र निकाय
- K. प्रस्तावना और इसका महत्व
- L. आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई
- M. संसदीय प्रणाली बनाम राष्ट्रपति प्रणाली
- N. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और इसके प्रावधान
- IV. संविधान सभा की कार्यप्रणाली और भावना
 - A. विचार-विमर्श प्रक्रिया
 - B. उद्देश्य संकल्प
 - C. बी.एन. राव और सचिवालय की भूमिका
 - D. अंतिम अंगीकरण और प्रारंभ
- V. संविधान सभा के गठन और संदर्भ से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएँ और अधिनियम
 - A. समाजवादी राजनीति
 - B. रॉयल नेवल म्यूटिनी (18-23 फरवरी, 1946)
 - C. पहला आम चुनाव (1946)
 - D. एटली का बयान (20 फरवरी, 1947)
 - E. लॉर्ड माउंटबेटन योजना (3 जून योजना)
 - F. संवैधानिक विकास के चरण (विभिन्न चार्टर अधिनियम और महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिनियम)
 - G. संविधान सभा की पहली बैठक (1946)
- VI. भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएँ (जैसा कि सभा द्वारा बहस/स्थापित किया गया)
 - A. लिखित और विस्तृत संविधान
 - B. एकात्मक झुकाव के साथ संघीय प्रणाली
 - C. सरकार का संसदीय स्वरूप
 - D. स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका
 - E. मौलिक अधिकार और कर्तव्य
 - F. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत
 - G. धर्मनिरपेक्षता
 - H. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
 - I. एकल नागरिकता
 - J. आपातकालीन प्रावधान
 - K. संविधान की विशेष स्थिति
 - L. कठोरता और लचीलेपन के बीच समन्वय

संविधान का दर्शन: प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत

- I. संविधान का दर्शन: अवलोकन
 - A. परिभाषा और संदर्भ
 - B. संवैधानिक दर्शन के स्रोत
 - C. मूल सिद्धांत और मूल्य
 - D. दर्शन का मूर्तिकरण

- E. संवैधानिक दर्शन की गतिशील प्रकृति
- II. संविधान की प्रस्तावना
 - A. पाठ्य तत्व
 - B. प्रमुख शब्दों का दार्शनिक महत्व
 - C. कानूनी स्थिति और संशोधनीयता
 - D. महत्व और भूमिका
- III. मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12-35)
 - A. उद्देश्य और प्रकृति
 - B. वर्गीकरण और विशिष्ट अधिकार
 - C. प्रवर्तन तंत्र
 - D. सीमाएँ और प्रतिबंध
 - E. विकास और न्यायिक व्याख्या
- IV. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP) (भाग IV, अनुच्छेद 36-51)
 - A. प्रकृति और स्थिति
 - B. वर्गीकरण और विशिष्ट सिद्धांत
 - C. मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संबंध
 - D. निदेशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन
 - E. कार्यान्वयन में आलोचनाएँ और चुनौतियाँ
 - F. संविधान के अन्य भागों में DPSP
 - G. DPSP पर विभिन्न विचारकों के विचार

भारत में संवैधानिकवाद: लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मूल संरचना बहस, संवैधानिक संशोधन

- I. भारत में संवैधानिकवाद: नींव और सिद्धांत
 - A. संवैधानिकवाद की अवधारणा
 - B. भारतीय संवैधानिकवाद के मूल सिद्धांत
 - C. भारत में संवैधानिकवाद का विकास
- II. भारत में लोकतंत्र
 - A. भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति
 - B. लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएँ / संस्थाएँ
 - C. भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ
- III. सामाजिक परिवर्तन और भारतीय संविधान
 - A. सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में संविधान
 - B. सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले प्रावधान
 - C. भारत में सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ
 - D. प्रगतिशील निर्णय / सामाजिक परिवर्तन में न्यायपालिका की भूमिका
 - E. लैंगिक न्याय
 - F. भूमि सुधार और आर्थिक न्याय
- IV. राष्ट्रीय एकता और अखंडता
 - A. स्वतंत्रता के समय चुनौतियाँ
 - B. एकता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक तंत्र
 - C. राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौतियाँ
- V. भारतीय संविधान में नियंत्रण और संतुलन
 - A. सरकार के तीन अंग

- B. सिद्धांत और व्यवहार में शक्तियों का पृथक्करण
- C. नियंत्रण के तंत्र
- D. न्यायिक स्वतंत्रता
- E. महाभियोग और हटाने की प्रक्रियाएँ
- F. संवैधानिक निकाय
- G. नियंत्रण और संतुलन की गतिशीलता
- VI. मूल संरचना सिद्धांत
 - A. ऐतिहासिक मामला: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
 - B. सिद्धांत का विकास
 - C. मूल संरचना के तत्व (उदाहरणात्मक, पूरी तरह से परिभाषित नहीं)
 - D. बाद के मामले कानून
 - E. महत्व और प्रभाव
 - F. सिद्धांत के आसपास की आलोचनाएँ और बहस
- VII. संवैधानिक संशोधन
 - A. संशोधन प्रक्रिया – अनुच्छेद 368
 - B. संशोधनों के प्रकार
 - C. प्रमुख संशोधन और उनका प्रभाव
 - D. संवैधानिक विकास में संशोधनों की भूमिका
 - E. संशोधन शक्ति पर सीमाएँ
 - F. संशोधन बनाम न्यायिक समीक्षा

संघ कार्यपालिका: राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद

- I. भारत के राष्ट्रपति
 - A. संवैधानिक स्थिति
 - B. राष्ट्रपति का चुनाव
 - C. कार्यकाल और पद से हटाना
 - D. शक्तियाँ और कार्य
 - E. राष्ट्रपति की स्थिति
 - F. अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट से तुलना
 - G. राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद
 - H. भारत के राष्ट्रपतियों की सूची
- II. भारत के उपराष्ट्रपति
 - A. उपराष्ट्रपति की योग्यताएँ
 - B. उपराष्ट्रपति का चुनाव
 - C. उपराष्ट्रपति की शपथ
 - D. उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य
 - E. उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारियाँ
 - F. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
 - G. भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची
- III. प्रधान मंत्री
 - A. संवैधानिक स्थिति
 - B. प्रधान मंत्री की शक्तियाँ और कार्य
 - C. संसदीय प्रणाली में भूमिका
 - D. प्रधान मंत्री की नियुक्ति

- E. प्रधान मंत्री की शपथ
- F. भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची
- G. भारत के उप प्रधानमंत्रियों की सूची
- IV. केंद्रीय मंत्रिपरिषद
 - A. संवैधानिक प्रावधान:
 - B. मंत्रिपरिषद की संरचना:
 - C. नियुक्ति और कार्यकाल
 - D. सामूहिक जिम्मेदारी (अनुच्छेद 75(3)):
 - E. व्यक्तिगत जिम्मेदारी:
 - F. मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के बीच अंतर
 - G. कैबिनेट की भूमिका:
 - H. मंत्रियों की शपथ और वेतन
 - I. मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य
- V. संघ कार्यपालिका का कार्य
 - A. कैबिनेट प्रणाली की सरकार:
 - B. कैबिनेट सचिवालय की भूमिका:
 - C. राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच अंतर-संबंध
 - D. भारत के अटॉर्नी जनरल (अनुच्छेद 76):
 - E. संघ कार्यपालिका का विकास और चुनौतियाँ:

संघ संसद: संरचना, भूमिका और कार्यप्रणाली, संसदीय समितियाँ

- I. संघ संसद की संरचना
 - A. संसद की अवधारणा
 - B. संसद के एक भाग के रूप में राष्ट्रपति
 - C. लोकसभा (जनता का सदन / निचला सदन)
 - D. राज्यसभा (राज्यों की परिषद / ऊपरी सदन)
 - E. लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना
- II. संघ संसद की भूमिका और कार्यप्रणाली
 - A. संसद के सत्र
 - B. विधायी कार्य (कानून बनाने की प्रक्रिया)
 - C. कार्यपालिका पर नियंत्रण (जवाबदेही कार्य)
 - D. वित्तीय कार्य
 - E. घटक कार्य (संशोधन शक्तियाँ)
 - F. न्यायिक कार्य
 - G. चुनावी भूमिका
 - H. विचार-विमर्श और निरीक्षण कार्य
 - I. संसदीय विशेषाधिकार
 - J. अन्य संसदीय प्रक्रियाएँ और उपकरण
- III. संसदीय समितियाँ
 - A. समितियों का महत्व और उद्देश्य
 - B. समितियों के प्रकार
 - C. समितियों का कार्य
 - D. संसदीय समितियों का महत्व और सीमाएँ

न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सुधार

- I. न्यायपालिका: भूमिका और संरचना
 - A. भारतीय न्यायपालिका की प्रकृति
 - B. न्यायपालिका के कार्य
 - C. न्यायपालिका के विभिन्न स्तर
- II. भारत का सर्वोच्च न्यायालय
 - A. संवैधानिक प्रावधान
 - B. सर्वोच्च न्यायालय का गठन
 - C. न्यायाधीशों की संरचना
 - D. न्यायाधीशों की नियुक्ति
 - E. न्यायाधीशों की योग्यताएँ
 - F. न्यायाधीशों की शपथ
 - G. न्यायाधीशों का कार्यकाल
 - H. न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया
 - I. वेतन और भत्ते
 - J. तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
 - K. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
 - L. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
 - M. सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ
 - N. अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 129)
 - O. सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता
 - P. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
 - Q. भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची
- III. उच्च न्यायालय
 - A. संवैधानिक प्रावधान
 - B. उच्च न्यायालयों का गठन
 - C. उच्च न्यायालयों की संख्या
 - D. न्यायाधीशों की संरचना
 - E. न्यायाधीशों की योग्यताएँ
 - F. न्यायाधीशों की नियुक्ति
 - G. न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान
 - H. न्यायाधीशों का कार्यकाल
 - I. वेतन और भत्ते
 - J. हटाने की प्रक्रिया
 - K. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
 - L. अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति
 - M. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
 - N. उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ
 - O. अभिलेख न्यायालय
 - P. उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता
- IV. अधीनस्थ न्यायपालिका और विशेष न्यायालय/न्यायाधिकरण
 - A. अधीनस्थ न्यायालय
 - B. लोक अदालत
 - C. परिवार न्यायालय

- D. ग्राम न्यायालय
- E. मोबाइल न्यायालय
- F. फास्ट ट्रैक न्यायालय
- G. ई-न्यायालय ("ई-न्यायालय")
- H. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
- I. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT)
- J. सशस्त्र बल अधिकरण (AFT)
- K. अधिकरणों के साथ चुनौतियाँ (स्वतंत्रता, अपील)
- L. दावा न्यायालय
- M. सैन्य न्यायालय और अधिकरण
- N. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) और कानूनी सहायता
- O. संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष शक्तियाँ
- V. न्यायिक समीक्षा
 - A. अर्थ और दायरा
 - B. संवैधानिक आधार
 - C. न्यायिक समीक्षा के प्रकार
 - D. न्यायिक समीक्षा का महत्व
 - E. सीमाएँ और स्व-लगाए गए प्रतिबंध
 - F. न्यायिक समीक्षा पर ऐतिहासिक निर्णय
- VI. न्यायिक सक्रियता
 - A. अर्थ और उत्पत्ति
 - B. जनहित याचिका (PIL)
 - C. न्यायिक सक्रियता के प्रमुख उदाहरण
 - D. न्यायिक सक्रियता का औचित्य
 - E. चिंताएँ और आलोचनाएँ
 - F. न्यायिक अतिरेक बनाम न्यायिक सक्रियता
- VII. न्यायिक सुधार
 - A. न्यायिक सुधारों की आवश्यकता
 - B. सुधार के प्रमुख क्षेत्र
 - C. न्यायपालिका से संबंधित संवैधानिक संशोधन
 - D. न्यायिक सुधारों पर समितियाँ और आयोग

राज्य कार्यपालिका और विधानमंडल: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल

- I. राज्यपाल
 - A. संवैधानिक प्रावधान
 - B. नियुक्ति और योग्यताएँ
 - C. कार्यकाल और पद से हटाना
 - D. शक्तियाँ और कार्य
 - E. राज्यपाल की स्थिति
 - F. राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- II. मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद्
 - A. मुख्यमंत्री
 - B. राज्य मंत्रिपरिषद्
 - C. राज्य के महाधिवक्ता

- III. राज्य विधानमंडल
 - A. राज्य विधानमंडल का संगठन
 - B. विधान सभा (विधान सभा / निचला सदन)
 - C. विधान परिषद (विधान परिषद / ऊपरी सदन)
 - D. राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ और कार्य (समग्र)
 - E. राज्य स्तर पर संसदीय विशेषाधिकार:
 - F. राज्य स्तर पर संसदीय समितियाँ:
- IV. संबंध और नियंत्रण
 - A. राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री
 - B. विधानमंडल बनाम कार्यपालिका

भारत में संघवाद: मजबूत केंद्र ढाँचा, असममित संघीय प्रावधान और अनुकूलन, अंतर-सरकारी समन्वय तंत्र की भूमिका, अंतर-राज्य परिषद, उभरते रुझान

- I. भारत में संघवाद को समझना
 - A. संघवाद की मूल अवधारणा
 - B. भारतीय संघवाद: एक अनूठा मिश्रण
 - C. संवैधानिक आधार
- II. मजबूत केंद्र ढाँचा
 - A. शक्तियों का विभाजन (सातवीं अनुसूची)
 - B. केंद्र की विधायी सर्वोच्चता
 - C. प्रशासनिक संबंध (भाग XI, अध्याय II)
 - D. वित्तीय संबंध (भाग XII)
 - E. आपातकालीन प्रावधान
 - F. अन्य केंद्रीकरण प्रवृत्तियाँ
 - G. मजबूत केंद्र के कारण
- III. असममित संघीय प्रावधान और अनुकूलन
 - A. असममित संघवाद: अवधारणा
 - B. कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
 - C. केंद्र शासित प्रदेश
 - D. आदिवासी क्षेत्र (पांचवीं और छठी अनुसूची)
 - E. विषमता का अनुकूलन और विकास
- IV. अंतर-सरकारी समन्वय तंत्र की भूमिका
 - A. अंतर-सरकारी समन्वय की आवश्यकता
 - B. संवैधानिक निकाय
 - C. वैधानिक निकाय
 - D. अन्य तंत्र और अनौपचारिक मंच
 - E. अंतर-राज्यीय विवादों में न्यायपालिका की भूमिका
- V. भारतीय संघवाद में उभरते रुझान
 - A. केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण बहस
 - B. क्षेत्रीय दलों का उदय
 - C. राजकोषीय संघवाद
 - D. सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद
 - E. वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव
 - F. संघवाद के लिए नई चुनौतियाँ

- G. संघवाद पर न्यायिक घोषणाएँ

चुनावी प्रक्रिया और भारत का चुनाव आयोग: चुनावों का संचालन, नियम, चुनावी सुधार

- I. भारत में चुनावी प्रक्रिया का परिचय
 - A. लोकतंत्र में चुनावों का महत्व
 - B. चुनावों का संवैधानिक आधार
 - C. भारत के चुनाव आयोग (ECI) की भूमिका
- II. भारत का चुनाव आयोग (ECI)
 - A. संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 324)
 - B. संरचना
 - C. नियुक्ति और कार्यकाल
 - D. ECI की स्वतंत्रता
 - E. ECI की शक्तियाँ और कार्य
 - F. सीमाएँ
 - G. ECI से संबंधित चुनौतियाँ और विवाद
- III. चुनावी प्रक्रिया: चुनाव के चरण
 - A. निर्वाचन क्षेत्रों का परिमीमन
 - B. मतदाता सूचियों की तैयारी (फोटो मतदाता सूची)
 - C. अधिसूचना और नामांकन
 - D. चुनाव अभियान
 - E. मतदान (मतदान का दिन)
 - F. वोटों की गिनती
 - G. परिणामों की घोषणा
 - H. चुनाव के बाद विवाद समाधान
- IV. चुनावों के प्रकार
 - A. आम चुनाव – लोकसभा और राज्य विधानसभाएँ
 - B. उपचुनाव – आम चुनावों के बीच खाली सीटें
 - C. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव
 - D. राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव
 - E. स्थानीय निकाय चुनाव – पंचायत और नगरपालिकाएँ (राज्य चुनाव आयोगों द्वारा संभाले जाते हैं)
 - F. प्रत्यक्ष चुनाव
 - G. अप्रत्यक्ष चुनाव
 - H. मध्यावधि चुनाव
- V. मतदान प्रणाली/चुनावी प्रणाली
 - A. फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) प्रणाली
 - B. आनुपातिक प्रतिनिधित्व (STV)
- VI. चुनावी कानून और नियम
 - A. प्रमुख कानूनी उपकरण
 - B. चुनावी अपराध और दंड
 - C. अयोग्यता के आधार
- VII. चुनावी सुधार (अतीत, हालिया और आवश्यक)
 - A. सुधारों की आवश्यकता
 - B. पिछले चुनावी सुधार
 - C. हालिया और प्रस्तावित सुधार

- D. चुनावी सुधारों पर प्रमुख समितियाँ और आयोग:
- E. चुनावों से संबंधित प्रमुख कानूनी और संवैधानिक संशोधन:
- VIII. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए चुनौतियाँ
 - A. धन बल:
 - B. बाहुबल/हिंसा:
 - C. सांप्रदायिकता और जातिवाद:
 - D. राज्य मशीनरी का दुरुपयोग:
 - E. मीडिया की भूमिका:
 - F. फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया का प्रभाव:
 - G. प्रतिरूपण और चुनावी कदाचार:
- IX. चुनावी प्रक्रिया में अन्य अभिनेताओं की भूमिका
 - A. राजनीतिक दल
 - B. नागरिक समाज संगठन (CSOs) / NGO
 - C. मीडिया
 - D. मतदाता
 - E. चुनाव पर्यवेक्षक

स्थानीय सरकार संस्थाएँ: कार्यप्रणाली और सुधार

- I. भारत में स्थानीय स्व-शासन का विकास और संवैधानिकीकरण
 - A. स्थानीय स्व-शासन का अर्थ
 - B. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: स्वतंत्रता-पूर्व जड़ें
 - C. स्वतंत्रता-पश्चात विकास और चुनौतियाँ
 - D. पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियाँ (संविधानीकरण-पूर्व)
 - E. संविधानीकरण: 73वां और 74वां संशोधन (1992)
 - F. स्थानीय स्व-शासन का महत्व
- II. ग्रामीण स्थानीय सरकार संस्थाएँ (पंचायती राज संस्थाएँ - PRIs): कार्यप्रणाली
 - A. संरचना और संरचना
 - B. मुख्य कार्य और जिम्मेदारियाँ (11वीं अनुसूची - 29 विषय)
 - C. PRIs के वित्तीय संसाधन
- III. शहरी स्थानीय सरकार संस्थाएँ (ULBs / नगरपालिकाएँ): कार्यप्रणाली
 - A. शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार और उनकी संरचना
 - B. मुख्य कार्य और जिम्मेदारियाँ (12वीं अनुसूची - 18 विषय)
 - C. ULBs के वित्तीय संसाधन
- IV. स्थानीय सरकार संस्थाओं के कार्यप्रणाली में मुद्दे और चुनौतियाँ
 - A. "निधि, कार्य और पदाधिकारियों" का अपर्याप्त हस्तांतरण
 - B. वित्तीय निर्भरता
 - C. राजनीतिक हस्तक्षेप
 - D. क्षमता बाधाएँ
 - E. जवाबदेही के मुद्दे
 - F. अन्य चुनौतियाँ
- V. स्थानीय सरकार संस्थाओं में सुधार
 - A. वित्तीय सुधार
 - B. प्रशासनिक सुधार
 - C. कार्यात्मक सुधार

- D. चुनावी सुधार
- E. योजना सुधार
- F. सामाजिक जवाबदेही तंत्र
- G. गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक समाज की भूमिका
- H. स्थानीय सरकार सुधारों पर विशिष्ट समितियाँ/आयोग (यदि कोई हालिया हैं)
- I. हालिया पहल (संशोधनों से परे)
- J. भारत भर में स्थानीय शासन में सफलता की कहानियाँ और सर्वोत्तम अभ्यास।

पुस्तक की सामग्री (जारी)

केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र

केंद्र शासित प्रदेश

- I. मूलभूत अवधारणाएँ
- II. संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 239 से 241)
- III. प्रशासनिक और शासन संरचना
- IV. हाल के घटनाक्रम

विशेष क्षेत्र और प्रावधान

- I. विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS)
- II. कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 371)
- III. अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्र
- IV. अन्य विशेष क्षेत्र

व्यापक संदर्भ और विविध विषय

संवैधानिक निकाय

- I. सामान्य ढाँचा: संवैधानिक और वैधानिक निकाय
 - A. परिभाषा और भेद:
 - B. स्वतंत्र निकायों का महत्व:
 - C. सामान्य विषय
- II. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
- III. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)
- IV. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
- V. चुनाव आयोग (भारत की चुनावी प्रक्रिया में पहले ही चर्चा की जा चुकी है)
- VI. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- VII. राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)
- VIII. वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद
- IX. वित्त आयोग
- X. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

- XI. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)
- XII. भारत के महान्यायवादी
- XIII. राज्य के महाधिवक्ता
- XIV. संवैधानिक नुस्खे (सामान्य)

गैर-संवैधानिक निकाय

- I. नीति आयोग
- II. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- III. राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)
- IV. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
- V. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
- VI. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)
- VII. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
- VIII. राज्य सूचना आयोग (SIC)
- IX. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
- X. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
- XI. लोकपाल और लोकायुक्त
- XII. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
- XIII. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
- XIV. भारतीय बार काउंसिल (BCI)
- XV. भारत का विधि आयोग
- XVI. भारत का परिसीमन आयोग

भारत के संविधान का व्यापक विवरण

- संविधान का परिचय
- संविधान का निर्माण
- संविधान की मुख्य विशेषताएँ
- संविधान की प्रस्तावना
- संविधान के भाग
- संविधान की अनुसूचियाँ
- संविधान के संशोधन
- मूल संरचना सिद्धांत
- मुख्य अवधारणाएँ और शर्तें

ऐतिहासिक मामले

- रमेश थापर केस (1950)
- ए.के. गोपालन केस (1950)
- स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोराइराजन (1951)
- शंकर प्रसाद केस (1951)
- नवीनचंद्र मफतलाल बनाम सीआईटी (1954)
- बेरुबारी यूनियन केस (1960)
- के.एम. नानावती केस (1961)
- केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962)

- एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1963)
- आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
- आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970)
- सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग (1971)
- केशवानंद भारती केस (1973)
- इंदिरा नेहरू गांधी केस (1975)
- ए.डी.एम. जबलपुर केस (1976)
- मेनका गांधी केस (1978)
- मिनर्वा मिल्स केस (1980)
- वामन राव केस (1980)
- बचन सिंह केस (1980)
- एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)
- मिथु बनाम पंजाब राज्य (1983)
- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (शाह बानो केस) (1985)
- ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985)
- एम.सी. मेहता केस (1986)
- डी.सी. वाधवा केस (1986)
- इंदिरा साहनी केस (1992)
- मोहिनी जैन केस (1992)
- किहोतो होलोहन केस (1992)
- उन्नीकृष्णन केस (1993)
- सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन केस (1993)
- एस.आर. बोम्मई केस (1994)
- ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996)
- मधु किशोर बनाम बिहार राज्य (1996)
- विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
- एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)
- डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)
- विनीत नारायण केस (1997)
- पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998)
- इंदिरा साहनी II (1999)
- टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन केस (2002)
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस (2002)
- नवीन जिंदल केस (2004)
- जहीरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य (बेस्ट बेकरी केस) (2004)
- प्रकाश सिंह केस (2006)
- एम. नागराज केस (2006)
- आई.आर. कोएल्हो केस (2007)
- अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008)
- अरुणा रामचंद्र शानबाग केस (2011)
- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2011)
- पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ (NOTA केस) (2013)
- लिली थॉमस केस (2013)
- टी.एस.आर. सुब्रमण्यम केस (2013)
- कमलेश वासवाणी बनाम भारत संघ (2013)

- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ (2014)
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) केस (2015)
- न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (निजता का अधिकार केस) (2017)
- शायरा बानो बनाम भारत संघ (ट्रिपल तलाक केस) (2017)
- रे: अनाथालयों में बच्चों का शोषण, तमिलनाडु (2017)
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (धारा 377 केस) (2018)
- जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (व्यभिचार कानून केस) (2018)
- इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (सबरीमाला केस) (2018)
- कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (पैसिव यूथेनेशिया केस) (2018)
- दिल्ली एनसीटी सरकार बनाम भारत संघ (2018)
- जरनैल सिंह बनाम लछमी नारायण गुप्ता (2018)
- हादिया केस (2018)
- एम. सिद्दीक (अयोध्या केस) (2019)
- पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019)
- बी.के. पवित्रा बनाम भारत संघ (2019)
- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (इंटरनेट स्वतंत्रता केस) (2020)
- सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया (2020)
- रामबाबू सिंह ठाकुर केस (2020)
- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया केस (2020)
- डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री (2021)
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024)
- सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024)

प्रमुख सिद्धांत

- संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत
- सार और तत्व का सिद्धांत
- अधिकार त्याग का सिद्धांत
- भावी अधिनिर्णय का सिद्धांत
- पृथक्करणीयता का सिद्धांत
- न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत
- आनुपातिकता का सिद्धांत
- पूर्वदृष्टांत का सिद्धांत
- सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
- निहित शक्तियों का सिद्धांत
- मूल संरचना का सिद्धांत
- रंगभेद विधान का सिद्धांत
- वैध अपेक्षा का सिद्धांत
- क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत
- अधिगृहीत क्षेत्र का सिद्धांत
- ग्रहण का सिद्धांत
- आकस्मिक और सहायक शक्तियों का सिद्धांत
- उदार व्याख्या का सिद्धांत
- उचित वर्गीकरण का सिद्धांत

- शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत
- प्रसन्नता का सिद्धांत
- विलंब का सिद्धांत
- विबंधन का सिद्धांत
- अल्ट्रा वायर्स का सिद्धांत
- पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत
- लोक विश्वास का सिद्धांत
- संविधान पर धोखाधड़ी का सिद्धांत
- आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत
- दोहरे दंड का सिद्धांत
- पुनर्विचार का सिद्धांत
- क्रेता सावधान का सिद्धांत
- लंबित वाद का सिद्धांत
- संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत
- कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत
- शीतलन प्रभाव का सिद्धांत
- अतिव्यापकता का सिद्धांत
- अस्पष्टता का सिद्धांत
- उचित प्रतिबंधों का सिद्धांत
- क्षेत्रीयता का सिद्धांत
- आवश्यकता का सिद्धांत
- संवैधानिकता की अनुमान्यता का सिद्धांत
- समान विषय का सिद्धांत
- निर्णय-पश्चात सुनवाई का सिद्धांत
- असुविधाजनक मंच का सिद्धांत
- वचनबद्ध विबंधन का सिद्धांत
- शक्ति पर धोखाधड़ी का सिद्धांत
- वैध राज्य हित का सिद्धांत
- राजनीतिक प्रश्न का सिद्धांत
- सार्वजनिक जवाबदेही का सिद्धांत
- वैध प्रतिनिधित्व का सिद्धांत
- दुर्भावना का सिद्धांत
- व्यापक नियंत्रण और स्वामित्व का सिद्धांत
- शक्ति के रंगीन प्रयोग का सिद्धांत (प्रशासनिक)
- अल्ट्रा पेटिटा का सिद्धांत
- स्व-सीमन का सिद्धांत
- सहायक शक्तियों का सिद्धांत
- प्रशासनिक कार्यवाई में निष्पक्षता का सिद्धांत
- मौन का सिद्धांत
- कानून की भावी घोषणा का सिद्धांत
- वैध निर्भरता का सिद्धांत
- अनुचित संवर्धन का सिद्धांत
- स्पष्ट मनमानी का सिद्धांत
- प्रदर्शन की असंभवता का सिद्धांत
- तुलनात्मक कठिनाई का सिद्धांत

- स्वच्छ हाथों का सिद्धांत
- दोहरे प्रभाव का सिद्धांत
- न्यूनतम शासन का सिद्धांत
- वैध राज्य उद्देश्य का सिद्धांत

संविधान निर्माण: उपनिवेशवाद की विरासत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भारतीय संविधान निर्माण में योगदान

I. औपनिवेशिक विरासत और भारतीय संविधान पर इसका प्रभाव

दो शताब्दियों से अधिक समय तक चले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने उत्तरोत्तर प्रशासनिक और कानूनी संरचनाएँ पेश कीं, जिन्होंने, अपने शोषणकारी स्वरूप के बावजूद, अनजाने में भारत के भविष्य के संवैधानिक भवन के लिए कुछ आधार तैयार किए।

A. ब्रिटिश संवैधानिक कानून और भारत में उनका विकास:

ब्रिटिश शासन के तहत संवैधानिक कानूनों का विकास कई अधिनियमों के माध्यम से देखा जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक ने विशिष्ट प्रशासनिक और विधायी परिवर्तन पेश किए।

1. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 (*Regulating Act of 1773*):

- उद्देश्य: ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने और भारत में उसके भ्रष्ट आचरणों को नियंत्रित करने का पहला संसदीय प्रयास।
- प्रावधान:
 - बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' नामित किया गया (लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले थे)।
 - गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद (Executive Council) की स्थापना की गई।
 - बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया।
 - 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे।
 - कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने या उपहार/घूस स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया।
- प्रभाव: कंपनी के मामलों पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की, जिसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी।

2. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 (*Pitt's India Act of 1784*):

- उद्देश्य: कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करके रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया।
- प्रावधान:
 - राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए इंग्लैंड में एक 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' (Board of Control - 6 सदस्य) की स्थापना की गई।
 - गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद की शक्ति को घटाकर तीन सदस्य कर दिया गया।
 - बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल के अधीन कर दिया गया।
 - गवर्नर-जनरल को कुछ मामलों में अपनी परिषद को ओवरराइड करने का अधिकार दिया गया।
- प्रभाव: 'दोहरी सरकार' (Double Government) की प्रणाली शुरू की (कंपनी वाणिज्यिक के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक के लिए), जो 1858 तक जारी रही।

3. चार्टर एक्ट (*Charter Acts*):

इन अधिनियमों ने कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया, धीरे-धीरे उसकी शक्ति को कम किया और ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण को बढ़ाया।

- चार्टर एक्ट 1793 (Charter Act of 1793): कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया; कमांडर-इन-चीफ गवर्नर-जनरल की परिषद का सदस्य बन गया।

- चार्टर एक्ट 1813 (Charter Act of 1813): चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, भारत में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जिससे भारत ब्रिटिश मिशनरियों और व्यापारियों के लिए खुल गया। कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया।
- चार्टर एक्ट 1833 (Charter Act of 1833):
 - बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' बनाया गया (लॉर्ड विलियम बैंटिंक पहले थे)।
 - बंबई और मद्रास से उनकी विधायी शक्तियाँ छीन ली गईं, जिससे भारत का गवर्नर-जनरल केंद्रीय विधायी प्राधिकरण बन गया।
 - कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, जिससे यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया।
 - सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया (लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध का सामना करना पड़ा)।
 - भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बनाया।
- चार्टर एक्ट 1853 (Charter Act of 1853):
 - गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया, जिससे एक अलग 'भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद' (mini-parliament) की स्थापना हुई।
 - सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई (मैकाले समिति, 1854)।
 - कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया, जिसका अर्थ था कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती थी।

4. भारत सरकार अधिनियम 1858 (**Government of India Act 1858**):

- उद्देश्य: 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद लागू किया गया, इसने शासन की शक्तियों को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया।
- प्रावधान:
 - भारत के गवर्नर-जनरल को 'भारत का वायसराय' नामित किया गया (लॉर्ड कैनिंग पहले थे)।
 - बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, जिससे 'दोहरी सरकार' समाप्त हो गई।
 - 'भारत के राज्य सचिव' (Secretary of State for India) का एक नया कार्यालय बनाया गया, जिसके पास भारत के प्रशासन पर पूर्ण अधिकार था, और इसमें 15 सदस्यीय भारतीय परिषद (Council of India) शामिल थी।
- प्रभाव: प्रत्यक्ष ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई, जिससे भारत ब्रिटिश क्राउन का सीधा उपनिवेश बन गया।

5. भारतीय परिषद अधिनियम (1861, 1892, 1909) (**Indian Councils Acts - 1861, 1892, 1909**):

इन अधिनियमों ने विधायी परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व को उत्तरोत्तर पेश किया।

- भारतीय परिषद अधिनियम 1861 (Indian Councils Act of 1861):
 - कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करके प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की (वायसराय की विधान परिषद में गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों का नामांकन)।
 - बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को उनकी विधायी शक्तियाँ बहाल की गईं (शक्तियों का हस्तांतरण)।
 - लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली (मंत्रिमंडल प्रणाली) की शुरुआत की गई।
- भारतीय परिषद अधिनियम 1892 (Indian Councils Act of 1892):
 - केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
 - कुछ गैर-सरकारी सदस्यों के लिए 'अप्रत्यक्ष चुनाव' की अनुमति दी गई (हालांकि 'चुनाव' शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया था)।
 - विधायी परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
- भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मोर्ले-मिंटो सुधार) (Indian Councils Act of 1909 - Morley-Minto Reforms):

- विधायी परिषदों का आकार काफी बढ़ाया गया (केंद्रीय: 16 से 60; प्रांतीय: भिन्न)।
- केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा गया लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर-सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई।
- पहली बार, भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों से जोड़ा गया (सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे)।
- मुसलमानों के लिए 'सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व' की प्रणाली शुरू की गई, जिसने सांप्रदायिकता को वैध बनाया (अलग निर्वाचक मंडल), जिससे विभाजन के बीज बोए गए।

6. भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) (**Government of India Act 1919 - Montagu-Chelmsford Reforms**):

- उद्देश्य: भारत में धीरे-धीरे 'उत्तरदायी सरकार' पेश करने के लिए लागू किया गया।
- प्रावधान:
 - प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन (Dyarchy at the Provincial Level): प्रांतीय विषयों को 'हस्तांतरित' (Transferred) (राज्यपाल द्वारा विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के साथ प्रशासित) और 'आरक्षित' (Reserved) (विधायी परिषद के प्रति बिना किसी जिम्मेदारी के राज्यपाल और कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित) में विभाजित किया गया।
 - केंद्र में द्विसदनीयता (Bi-cameralism at the Centre): ऊपरी सदन (राज्य परिषद) और निचले सदन (विधानसभा) की शुरुआत की गई।
 - प्रत्यक्ष चुनाव (Direct Elections): केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधायी निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए।
 - केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग किया गया।
 - एक लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना की गई (केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित)।
 - इसके कामकाज की जाँच के लिए 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग (statutory commission) नियुक्त किया गया।
- प्रभाव: भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा, जिससे व्यापक विरोध और असहयोग आंदोलन हुआ।

7. साइमन कमीशन (1927) और इसकी रिपोर्ट (**Simon Commission - 1927 and its Report**):

- उद्देश्य: भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने और आगे के संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए समय से पहले (1929 से पहले) नियुक्त किया गया।
- संरचना: सात सदस्य, सभी ब्रिटिश, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में।
- भारतीय प्रतिक्रिया: भारतीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया।
- रिपोर्ट (1930):
 - द्वैध शासन को समाप्त करने की सिफारिश की।
 - प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का विस्तार।
 - ब्रिटिश भारत और रियासतों के एक संघ की स्थापना।
 - सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को बनाए रखना।
- प्रभाव: इसकी सिफारिशों पर तीन गोलमेज सम्मेलनों के दौरान विचार किया गया और भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनीं।

8. भारत सरकार अधिनियम 1935 (**Government of India Act 1935**):

- महत्व: एक विस्तृत और विस्तृत दस्तावेज़, यह भारतीय संविधान के लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य किया, इसके लगभग दो-तिहाई प्रावधानों को इस अधिनियम से लिया गया।
- प्रावधान:

- अखिल भारतीय संघ (All-India Federation): ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के एक संघ की परिकल्पना की गई (कभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं)।
- शक्तियों का विभाजन (Division of Powers): केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों में विभाजित किया गया।
- प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन (Abolition of Dyarchy in Provinces): 'प्रांतीय स्वायत्तता' (Provincial Autonomy) की शुरुआत की गई, जिससे मंत्री प्रांतीय विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी बने।
- केंद्र में द्वैध शासन (Dyarchy at the Centre): संघीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई (कभी लागू नहीं हुआ)।
- द्विसदनीयता (Bi-cameralism): 11 में से 6 प्रांतों में शुरू की गई (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत)।
- सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व (Communal Representation): अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों तक बढ़ाया गया (अलग निर्वाचक मंडल)।
- एक संघीय न्यायालय (Federal Court - 1937), भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India - 1935), और संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई।
- प्रभाव: हालांकि यह पूर्ण स्वतंत्रता से कम था, इसने एक संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता और संसदीय लोकतंत्र के लिए एक ढांचा प्रदान किया जिसने भविष्य के संविधान को प्रभावित किया।

9. क्रिप्स मिशन (1942) (*Cripps Mission - 1942*):

- उद्देश्य: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार (विंस्टन चर्चिल के तहत) द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के साथ भेजा गया।
- प्रस्ताव:
 - युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस।
 - प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए और रियासतों द्वारा नामित एक संविधान-निर्माण निकाय।
 - नए संविधान को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं होने वाले प्रांत अपनी अलग पहचान बनाए रख सकते थे।
- भारतीय प्रतिक्रिया: कांग्रेस (तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की) और मुस्लिम लीग (दो स्वायत्त राज्यों में विभाजन चाहती थी) दोनों ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इसे "दिवालिया बैंक का पोस्ट-डेटेड चेक" कहा।

10. कैबिनेट मिशन योजना (1946) (*Cabinet Mission Plan - 1946*):

- उद्देश्य: विशेष रूप से युद्ध के बाद और स्वतंत्रता की बढ़ती मांग के बाद, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए भारत भेजा गया।
- प्रस्ताव:
 - एक अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया।
 - एक संघीय संरचना (तीन-स्तरीय: केंद्र, प्रांतों का समूह, प्रांत) के साथ एक संयुक्त भारत के लिए एक योजना प्रस्तावित की।
 - एक संविधान सभा के लिए प्रावधान किया गया जिसे बड़े पैमाने पर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना जाना था (रियासतों के लिए 93 सीटें, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए 292)।
 - अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था।
- प्रभाव: इस योजना के अनुसार, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ और उसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य शुरू किया।

11. वामपंथी राजनीति (*Left-wing Politics*):

- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर वामपंथी विचारधाराओं (साम्यवाद, समाजवाद) का उदय (उदाहरण के लिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) ने संविधान सभा में बहस को प्रभावित किया।

- सामाजिक-आर्थिक न्याय, समानता, श्रम अधिकारों और प्रमुख उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण पर उनके जोर ने राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) और संविधान के समाजवादी झुकाव में परिलक्षित किया।
- भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत एम.एन. रॉय जैसे व्यक्ति, 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव करने वाले पहले लोगों में से थे।

12. वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन (1945) (Wavell Plan and Shimla Conference - 1945):

- वेवेल योजना (Wavell Plan): कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तावित। वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करने का लक्ष्य रखा जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व था।
- शिमला सम्मेलन (Shimla Conference): वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया। जिन्ना के इस आग्रह के कारण विफल रहा कि केवल मुस्लिम लीग ही कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों को नामित कर सकती है, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया।
- प्रभाव: बढ़ती सांप्रदायिक खाई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच असहमति को उजागर किया, जिससे सत्ता के हस्तांतरण में और जटिलताएँ आईं।

13. लॉर्ड माउंटबेटन योजना (3 जून योजना) (Lord Mountbatten Plan - 3 June Plan):

- उद्देश्य: सत्ता के हस्तांतरण में तेजी लाने और विभाजन की मांग को संबोधित करना।
- प्रावधान:
 - बताया गया कि 15 अगस्त 1947 तक सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी।
 - भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रावधान किया गया।
 - रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया।
 - सीमाओं के निर्धारण के लिए सीमा आयोगों (Boundary Commissions) की स्थापना की जानी थी।
- प्रभाव: कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया, जिससे सीधे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना।

14. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (Indian Independence Act 1947):

- उद्देश्य: ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, इसने माउंटबेटन योजना को प्रभावी किया।
- प्रावधान:
 - 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया।
 - भारत के विभाजन और दो स्वतंत्र डोमिनियन: भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान किया।
 - वायसराय और भारत के राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया।
 - दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं को अपने संबंधित संविधानों को तैयार करने और ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को रद्द करने का अधिकार दिया।
 - रियासतों को किसी भी डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी गई (हालांकि अधिकांश भारत में शामिल हो गए)।
- प्रभाव: ब्रिटिश शासन का अंत और दो स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ, जिसमें भारत की संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई, जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्वतंत्र थी।

B. ब्रिटिश शासन के तहत प्रशासनिक और कानूनी संरचनाएँ:

ब्रिटिश प्रशासनिक और कानूनी ढाँचों ने भारतीय संविधान के संस्थागत डिजाइन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।

1. केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण (Centralization vs. Decentralization):

- प्रारंभिक चरण (केंद्रीकरण): प्रारंभिक ब्रिटिश शासन, विशेष रूप से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट के बाद, प्रशासन का बढ़ता केंद्रीकरण देखा गया, जिसमें बंगाल का गवर्नर-जनरल (बाद में

भारत का) सर्वोच्च अधिकारी बन गया। इसने एक मजबूत केंद्रीय सरकार की नींव रखी, एक विशेषता जिसे भारतीय संविधान में बरकरार रखा गया (एक संघीय संरचना में एकात्मक पूर्वाग्रह)।

- बाद का चरण (विकेंद्रीकरण/हस्तांतरण): भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने विधायी हस्तांतरण की शुरुआत की। बाद के अधिनियमों (1919, 1935) ने प्रांतीय स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण के उपायों को पेश किया, जिसने शक्तियों के संघीय वितरण और स्वतंत्र भारत में राज्य सरकारों की अवधारणा को प्रभावित किया। संविधान की सातवीं अनुसूची (संघ, राज्य, समवर्ती सूचियाँ) इस विकास को दर्शाती हैं।

2. सारणी: केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का विकास

चरण/अधिनियम	विशेषता	संवैधानिक प्रभाव
रेगुलेटिंग एक्ट 1773	केंद्रीकरण	मजबूत केंद्र, अखिल भारतीय सेवाएँ।
चार्टर एक्ट 1833	पूर्ण केंद्रीकरण	एकीकृत प्रशासन, विधान पर केंद्रीय नियंत्रण।
भारतीय परिषद अधिनियम 1861	विधायी हस्तांतरण	प्रांतीय विधायिकाएँ, शक्तियों का वितरण।
भारत सरकार अधिनियम 1919	प्रांतीय द्वैध शासन	प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के बीज।
भारत सरकार अधिनियम 1935	प्रांतीय स्वायत्तता	संघीय संरचना, राज्य सूची, प्रांतीय स्वशासन।

3.

कानून का शासन (*Rule of Law*):

- अवधारणा: ब्रिटिश विधिवेत्ता ए.वी. डायसी द्वारा प्रस्तुत, इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी कानून के सामने समान हैं, और कानून सर्वोच्च है।
- भारत में ब्रिटिश अनुप्रयोग: जबकि सैद्धांतिक रूप से प्रचारित किया गया, इसका अनुप्रयोग अक्सर व्यवहार में भेदभावपूर्ण था, जिसमें नस्लीय पूर्वाग्रह और मनमानी कार्रवाई शामिल थी।
- भारतीय संविधान पर प्रभाव: कानून का शासन का सिद्धांत भारतीय संविधान का एक मूलभूत स्तंभ है।
 - अनुच्छेद 14: 'कानून के समक्ष समानता' और 'कानूनों का समान संरक्षण' की गारंटी देता है।

- स्वतंत्र न्यायपालिका: सुनिश्चित करता है कि कानून निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से लागू किए जाते हैं।
 - संविधान की सर्वोच्चता: संविधान सर्वोच्च कानून है, जो राज्य के सभी अंगों पर बाध्यकारी है।
4. न्यायपालिका प्रणाली (उच्च न्यायालयों, संघीय न्यायालय का विकास) (**Judicial System - Evolution of High Courts, Federal Court**):
- प्रारंभिक विकास:
 - कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (1774): 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित, मुख्य रूप से ब्रिटिश विषयों के लिए।
 - प्रांतीय न्यायालय: प्रेसीडेंसी में अलग-अलग न्यायिक प्रणालियाँ मौजूद थीं।
 - उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 (High Courts Act of 1861): कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालयों और सदर अदालतों की जगह ली।
 - भारत सरकार अधिनियम 1935 (Government of India Act 1935): 1937 में संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना की (शुरुआत में दिल्ली में, बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सफल रहा), जिसमें मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार था। यह न्यायालय भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय था, हालांकि अपील अभी भी लंदन में प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी।
 - भारतीय संविधान पर प्रभाव:
 - एकीकृत न्यायिक प्रणाली: भारतीय संविधान एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित करता है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं।
 - अनुच्छेद 124-147 (सर्वोच्च न्यायालय) और 214-237 (उच्च न्यायालय): उनकी संरचना, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का विवरण देते हैं, जो बड़े पैमाने पर संघीय न्यायालय और उच्च न्यायालयों की विरासत से लिया गया है।
 - न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा (कानूनी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जाँच करने के लिए न्यायालयों की शक्ति) एंग्लो-सैक्सन कानूनी प्रणाली से विकसित हुई है और भारतीय न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
5. लोक सेवा की अवधारणा (**Concept of Public Service**):
- विकास: कंपनी के कर्मचारियों के साथ शुरू हुआ, एक पेशेवर सिविल सेवा में विकसित हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट ने प्रयास किया, और 1853 के चार्टर एक्ट ने सफलतापूर्वक, मैकाले समिति (1854) की सिफारिशों के आधार पर भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली शुरू की।
 - भारत सरकार अधिनियम 1919 (Government of India Act 1919): एक लोक सेवा आयोग (केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित) की स्थापना का प्रावधान किया।
 - भारत सरकार अधिनियम 1935 (Government of India Act 1935): संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया।
 - भारतीय संविधान पर प्रभाव:
 - अनुच्छेद 308-323 (भाग XIV): संघ और राज्यों के तहत सेवाओं से संबंधित हैं, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSCs) को योग्यता के आधार पर भर्ती के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र निकायों के रूप में स्थापित करते हैं।
 - अखिल भारतीय सेवाएँ (All-India Services): अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) की अवधारणा सीधे ब्रिटिश प्रशासनिक संरचना से ली गई है, जो पूरे देश में प्रशासनिक एकरूपता और अखंडता सुनिश्चित करती है।

C. उपनिवेशवाद का सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव:

उपनिवेशवाद के गहरे और अक्सर विनाशकारी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव हुए, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान में निहित आकांक्षाओं को प्रभावित किया।

1. धन की निकासी का सिद्धांत (**Drain of Wealth Theory**):

- प्रतिपादक: दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1901) में।
- अवधारणा: तर्क दिया गया कि ब्रिटिश शासन ने भारत की संपत्ति (वेतन, पेंशन, ऋण पर ब्याज, व्यापार अधिशेष आदि के माध्यम से) को व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन में निकाल दिया, जिससे भारत गरीब हो गया और ब्रिटेन समृद्ध हुआ।
- संविधान पर प्रभाव: इस सिद्धांत ने एक मजबूत आर्थिक राष्ट्रवाद और आर्थिक आत्मनिर्भरता की इच्छा को बढ़ावा दिया। यह संविधान के जोर में परिलक्षित होता है:
 - राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (भाग IV): सामाजिक और आर्थिक न्याय, धन का समान वितरण, धन के संकेंद्रण की रोकथाम का लक्ष्य रखते हैं (उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 39)।
 - आर्थिक योजना (Economic Planning): स्वतंत्रता के बाद, भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक शोषण और असमानताओं को दूर करने के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया।

2. अकाल और आर्थिक शोषण (**Famines and Economic Exploitation**):

- कारण: ब्रिटिश भू-राजस्व नीतियाँ (उदाहरण के लिए, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी), कृषि का व्यावसायीकरण, औद्योगीकरण की कमी, और अपर्याप्त अकाल राहत उपायों के कारण बार-बार विनाशकारी अकाल पड़े (उदाहरण के लिए, 1876-78 का महान अकाल, 1943 का बंगाल अकाल)।
- संविधान पर प्रभाव: बड़े पैमाने पर गरीबी और भुखमरी के अनुभव ने एक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता को रेखांकित किया जो प्रतिबद्ध था:
 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21): गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की गई है, जिसमें पर्याप्त भोजन, आश्रय और बुनियादी आवश्यकताएँ शामिल हैं।
 - समाजवादी पैटर्न का समाज (Socialist Pattern of Society): प्रस्तावना की 'समाजवादी' आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ी गई) इस आकांक्षा को दर्शाती है कि ऐसे शोषण से मुक्त समाज का निर्माण किया जाए और सभी के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
 - कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत (Welfare State Principles): कई निदेशक सिद्धांत (उदाहरण के लिए, काम का अधिकार, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता, न्यूनतम मजदूरी) ऐसी आपदाओं को रोकने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

3. राजनीतिक चेतना का उदय (**Rise of Political Consciousness**):

- कारक: पश्चिमी शिक्षा, मध्यम वर्ग का उदय, आधुनिक प्रेस का विकास, एकीकृत प्रशासन, बेहतर परिवहन और संचार, और अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियों ने सभी ने भारतीय राजनीतिक चेतना के उदय में योगदान दिया।
- संगठित आंदोलन: राजनीतिक संघों का गठन (उदाहरण के लिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) और जन आंदोलन (उदाहरण के लिए, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन)।
- संविधान पर प्रभाव:
 - लोकतांत्रिक सिद्धांत (Democratic Principles): स्वशासन और प्रतिनिधित्व की मांग सीधे संसदीय लोकतंत्र, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326), और मौलिक अधिकारों (भाग III) को अपनाने का कारण बनी, जिससे राजनीतिक स्वतंत्रताएँ सुनिश्चित हुईं।
 - राष्ट्रीय एकता (National Unity): औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सामान्य संघर्ष ने राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा की, एक एकजुट भारत के विचार को मजबूत किया, जो प्रस्तावना के 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' पर जोर में परिलक्षित होता है।

4. सांप्रदायिकता और विभाजन (**Communalism and Partition**):

- ब्रिटिश नीति: अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति, जो अलग निर्वाचक मंडल (भारतीय परिषद अधिनियम 1909) की शुरुआत और बाद के अधिनियमों में आगे बढ़ाई गई, ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया।
- पाकिस्तान की मांग: एम.ए. जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 में (लाहौर प्रस्ताव) एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग को औपचारिक रूप दिया।
- विभाजन (1947): सांप्रदायिक राजनीति और माउंटबेटन योजना के परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, जिसके साथ व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ।
- संविधान पर प्रभाव:
 - धर्मनिरपेक्षता (Secularism): विभाजन के दर्दनाक अनुभव ने धर्मनिरपेक्षता के प्रति एक दृढ़ प्रतिबद्धता पैदा की। हालांकि मूल प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से नहीं था, 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 25-28 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और धार्मिक आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं।
 - अल्पसंख्यक अधिकार (Minority Rights): संविधान में भविष्य के सांप्रदायिक संघर्ष को रोकने और उनकी सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रावधान (अनुच्छेद 29-30) शामिल हैं।
 - नागरिकता (Citizenship): विभाजन की चुनौतियों ने नागरिकता पर प्रावधानों (अनुच्छेद 5-11) को सूचित किया, जिसमें प्रवास और विस्थापन से निपटना शामिल था।

निष्कर्षतः, भारतीय संविधान विरासत और अस्वीकृति दोनों का परिणाम है। इसने ब्रिटिश संवैधानिक और प्रशासनिक विरासत से संसदीय सरकार, कानून के शासन और एक पेशेवर सिविल सेवा जैसे तत्वों को चुना। साथ ही, इसने औपनिवेशिक शासन के दमनकारी और विभाजनकारी पहलुओं को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए प्रयास किया जो अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए प्रतिबद्ध था।

II. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संविधान निर्माण में योगदान

राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक लड़ाई नहीं था, बल्कि एक ऐसा गढ़ भी था जहाँ स्वतंत्र भारत के शासन के लिए एक दृष्टिकोण गढ़ा गया था।

A. स्व-शासन और संवैधानिक सुधारों के लिए प्रारंभिक मांगें:

भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरण में वृद्धिशील सुधारों और प्रशासन में अधिक भारतीय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया।

1. प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की मांगें (*Early Nationalists' Demands*):

- चरण: आमतौर पर उदारवादी राष्ट्रवाद (1885-1905) के काल को संदर्भित करता है।
- प्रमुख व्यक्ति: दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले।
- मार्ग:
 - विधान परिषदों का विस्तार और सुधार: विधायी निकायों (जैसे, बजट पर नियंत्रण) के लिए भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि और अधिक शक्तियों की मांग की।
 - 'प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं': एक प्रमुख नारा, वित्तीय मामलों में आवाज की वकालत करना।
 - सिविल सेवाओं का भारतीयकरण: भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षाओं की मांग, और भारतीयों के लिए प्रशासनिक पदों का अधिक हिस्सा।

- कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण: निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए।
- नागरिक अधिकारों का संरक्षण: भाषण, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता की वकालत की।
- संविधान पर प्रभाव: इन प्रारंभिक मांगों ने इसकी नींव रखी:
 - सरकार का संसदीय स्वरूप: प्रतिनिधि संस्थाओं की निरंतर मांग ने सीधे संसदीय प्रणाली को अपनाने में योगदान दिया।
 - मौलिक अधिकार: नागरिक स्वतंत्रता की वकालत ने मौलिक अधिकारों (भाग III, अनुच्छेद 12-35) को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया, जो बुनियादी स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है।
 - स्वतंत्र न्यायपालिका: न्यायिक पृथक्करण की मांग ने न्यायपालिका की स्वतंत्र स्थिति (अनुच्छेद 124-147, 214-237) को प्रभावित किया।
 - लोक सेवा आयोग: भारतीयकरण के आह्वान से UPSC और SPSCs (अनुच्छेद 315-323) की स्थापना हुई।

2. प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास (**Growth of Representative Institutions**):

- विकास: भारतीय परिषद अधिनियम 1861 (भारतीयों का नामांकन) से शुरू हुआ, धीरे-धीरे 1892 (अप्रत्यक्ष चुनाव, बजट चर्चा), 1909 (कार्यकारी परिषदों में सीमित भारतीय सदस्य, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल), और 1919 (द्वैध शासन, प्रत्यक्ष चुनाव) के अधिनियमों के माध्यम से आगे बढ़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व का और विस्तार किया।
- प्रभाव: विधायी और कार्यकारी निकायों में भारतीयों का धीरे-धीरे प्रवेश, हालांकि सीमित, ने भारतीय नेताओं को संसदीय लोकतंत्र के कामकाज से परिचित कराया। यह व्यावहारिक अनुभव भारत के अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण था। संविधान सभा स्वयं बड़े पैमाने पर एक प्रतिनिधि निकाय थी, जिसे 1935 के अधिनियम के आधार पर एक प्रकार के अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना गया था।

B. प्रमुख आंदोलन और उनका संवैधानिक महत्व:

प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनों ने भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को स्पष्ट करके संवैधानिक दृष्टि को आकार दिया।

1. स्वदेशी आंदोलन (1905) (**Swadeshi Movement - 1905**):

- संदर्भ: लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया।
- प्रकृति: आत्मनिर्भरता ('स्वदेशी') और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार ('बहिष्कार') की वकालत की।
- महत्व:
 - आर्थिक राष्ट्रवाद: आर्थिक स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया, बाद में आत्मनिर्भरता और नियोजित आर्थिक विकास पर जोर को प्रभावित किया (निदेशक सिद्धांतों में परिलक्षित)।
 - जन भागीदारी: जन लामबंदी की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया, सार्वजनिक राय की शक्ति का प्रदर्शन किया, लोकप्रिय संप्रभुता के विचार को मजबूत किया।
 - सांस्कृतिक पुनरुत्थान: भारतीय पहचान और विरासत पर जोर दिया।

2. असहयोग आंदोलन (1920-22) (**Non-Cooperation Movement - 1920-22**):

- नेता: महात्मा गांधी।
- प्रकृति: अहिंसक सविनय अवज्ञा पर आधारित पहला बड़े पैमाने पर, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन। इसमें सरकारी कार्यालयों, अदालतों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था।
- महत्व:
 - जन लामबंदी: शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया और लाखों लोगों को राजनीतिक संघर्ष में लाया, भविष्य के संवैधानिक शासन के लिए लोकतांत्रिक आधार को मजबूत किया।
 - हिंदू-मुस्लिम एकता: शुरुआत में महत्वपूर्ण एकता देखी गई (खिलाफत आंदोलन गठबंधन), हालांकि बाद में यह टूट गया।

- स्वराज: गांधी का 'स्वराज' (स्वशासन) का आह्वान एक केंद्रीय मांग बन गया, जिसने एक संप्रभु भारतीय राज्य के लिए वैचारिक आधार तैयार किया।

3. सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) (Civil Disobedience Movement - 1930-34):

- नेता: महात्मा गांधी (दांडी मार्च/नमक सत्याग्रह के साथ शुरू)।
- प्रकृति: असहयोग से व्यापक और अधिक तीव्र, जिसमें विशिष्ट अन्यायपूर्ण कानूनों का व्यापक उल्लंघन शामिल था।
- महत्व:
 - अधिकारों का दावा: कानूनों की सीधी अवहेलना ने मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की मांग को रेखांकित किया।
 - महिलाओं की भागीदारी: महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी, लैंगिक समानता के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया (जैसे, अनुच्छेद 15, 39ए)।
 - राष्ट्रवादी संकल्प को मजबूत किया: दमन के बावजूद, इसने भारतीयों की स्वतंत्रता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, जिसने संविधान सभा के एक सच्चे स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य बनाने के संकल्प को प्रभावित किया।

4. भारत छोड़ो आंदोलन (1942) (Quit India Movement - 1942):

- संदर्भ: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद।
- नारा: "करो या मरो।"
- प्रकृति: ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग। शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति में स्वतःस्फूर्त, व्यापक और अक्सर हिंसक विद्रोह (अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था)।
- महत्व:
 - संप्रभुता का अंतिम दावा: पूर्ण स्वतंत्रता की अंतिम, unequivocal मांग को दर्शाया और ब्रिटिश को यह एहसास कराया कि वे अब भारत को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रख सकते।
 - जनशक्ति: जनता की immense latent शक्ति और प्रतिरोध की विकेंद्रीकृत प्रकृति का प्रदर्शन किया। इसने एक संविधान का मार्ग प्रशस्त किया जो अपने नागरिकों को सशक्त बनाता है।

5. संविधान सभा चुनाव (1946) (Constituent Assembly Elections - 1946):

- संदर्भ: कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के तहत आयोजित।
- प्रक्रिया: सदस्य बड़े पैमाने पर प्रांतीय विधान सभाओं (अप्रत्यक्ष चुनाव) द्वारा चुने गए थे, जिसमें रियासतों द्वारा कुछ नामित किए गए थे। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया था (लगभग 1 सीट प्रति मिलियन)।
- महत्व:
 - वैधता: संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक वैध, हालांकि आंशिक रूप से निर्वाचित, निकाय प्रदान किया, जिससे इसे एक लोकप्रिय जनादेश मिला।
 - समावेशी प्रतिनिधित्व: हालांकि कांग्रेस का प्रभुत्व था, इसमें विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों और राजनीतिक विचारधाराओं के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने मसौदा तैयार करने में एक विविध दृष्टिकोण में योगदान दिया।

6. रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह (18-23 फरवरी, 1946) (Royal Indian Navy Mutiny - 18-23 February, 1946):

- संदर्भ: बंबई में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों द्वारा विद्रोह, जल्दी ही अन्य नौसैनिक प्रतिष्ठानों तक फैल गया।
- कारण: खराब सेवा शर्तें, नस्लीय भेदभाव और धीमी गति से सैन्य वापसी।
- महत्व:
 - ब्रिटिश अधिकार का क्षरण: एक महत्वपूर्ण घटना जिसने भारतीय सशस्त्र बलों के बीच वफादारी के तेजी से क्षरण का प्रदर्शन किया, जिससे ब्रिटिश को यह स्पष्ट हो गया कि वे अब अपने नियंत्रण के प्रमुख उपकरणों पर भरोसा नहीं कर सकते।

- सत्ता के हस्तांतरण के लिए उत्प्रेरक: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में गिरावट और व्यापक अशांति के साथ, इसने स्वतंत्रता प्रदान करने के ब्रिटिश निर्णय को काफी तेज कर दिया।
- प्रभाव: स्वतंत्र भारतीय राज्य के प्रति वफादार एक राष्ट्रीय सेना की आवश्यकता और सशस्त्र बलों के भीतर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के महत्व को मजबूत किया।

C. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक नींव और दृष्टि:

आंदोलन के भीतर की बौद्धिक और नैतिक धाराओं ने संवैधानिक दर्शन को गहराई से प्रभावित किया।

1. स्वतंत्रता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय के लक्ष्य:

- स्वतंत्रता (संप्रभुता): सर्वोच्च लक्ष्य, 'पूर्ण स्वराज' (लाहौर अधिवेशन, 1929) में परिणत। प्रस्तावना में परिलक्षित: "हम, भारत के लोग... संप्रभु... गणराज्य।"
- लोकतंत्र: प्रारंभिक राष्ट्रवादियों से एक लगातार मांग, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संसदीय लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता में विकसित हुई। प्रस्तावना और अनुच्छेद 324-329 (चुनाव), अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार) में निहित।
- धर्मनिरपेक्षता: भारत की विविध प्रकृति और विभाजन के दर्दनाक अनुभव ने धार्मिक तटस्थता और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पैदा की। प्रस्तावना ('धर्मनिरपेक्ष' 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) और मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 25-28: धर्म की स्वतंत्रता) में परिलक्षित।
- समाजवाद: नेहरू जैसे नेताओं और वामपंथी विचार के उदय से प्रभावित, सामाजिक-आर्थिक समानता, कल्याण के लिए राज्य के हस्तक्षेप और संसाधनों के समान वितरण की वकालत करते हुए। प्रस्तावना ('समाजवादी' 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (भाग IV, जैसे, अनुच्छेद 38, 39) में परिलक्षित।
- सामाजिक न्याय: एक मुख्य सिद्धांत, हाशिए पर पड़े वर्गों को ऊपर उठाने और ऐतिहासिक असमानताओं (जाति, लिंग) को संबोधित करने की आवश्यकता से प्रेरित। मौलिक अधिकारों (जैसे, अनुच्छेद 15: भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन) और निदेशक सिद्धांतों (जैसे, अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना) में परिलक्षित।

2. पश्चिमी उदारवादी विचार का प्रभाव (*Influence of Western Liberal Thought*):

- प्रमुख अवधारणाएँ: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय लोकतंत्र, कानून का शासन और संवैधानिकवाद के विचार पश्चिमी शिक्षा और राजनीतिक दर्शन के संपर्क के माध्यम से आत्मसात किए गए थे।
- प्रभाव: भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के बावजूद, ये अवधारणाएँ प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और संसदीय शासन की संरचना का आधार बनती हैं।

3. गांधीवादी दर्शन और इसका प्रभाव (*Gandhian Philosophy and its Impact*):

- मूल सिद्धांत: अहिंसा, सत्य (सत्याग्रह), विकेंद्रीकरण (ग्राम स्वराज), न्यासधारिता (Trusteeship), सर्वोदय (सभी का कल्याण)।
- संविधान पर प्रभाव:
 - विकेंद्रीकरण: हालांकि मूल संरचना में पूरी तरह से महसूस नहीं किया गया, विकेंद्रीकरण की भावना से बाद में पंचायती राज संस्थाओं (73वें और 74वें संशोधन, 1992, भाग IX और IXA जोड़ना) की शुरुआत हुई।
 - सामाजिक और आर्थिक न्याय: गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान पर जोर, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, नशीले पेय पदार्थों का निषेध (DPSP में अनुच्छेद 40, 43, 47)।
 - अस्पृश्यता का उन्मूलन: अनुच्छेद 17 पर सीधा प्रभाव।

4. आधुनिक भारत के नेहरूवादी दृष्टिकोण (*Nehruvian Vision of a Modern India*):

- मूल सिद्धांत: लोकतांत्रिक समाजवाद, विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, औद्योगीकरण, धर्मनिरपेक्षता, नियोजित अर्थव्यवस्था।
- संविधान पर प्रभाव:
 - लोकतांत्रिक समाजवाद: एक मिश्रित अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण में राज्य की भूमिका की वकालत की, जिससे संविधान के समाजवादी और कल्याणकारी राज्य पहलुओं (प्रस्तावना, DPSP) को प्रभावित किया।
 - धर्मनिरपेक्षता: धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक, सभी धर्मों के प्रति राज्य की तटस्थता सुनिश्चित करना।
 - नियोजित विकास: राष्ट्रीय विकास का मार्गदर्शन करने वाले एक मजबूत राज्य के विचार ने आर्थिक योजना और राज्य के हस्तक्षेप के प्रावधानों को प्रभावित किया।
 - उद्देश्य प्रस्ताव: नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) ने संविधान की मौलिक आकांक्षाओं और दर्शन (संप्रभु, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व) को व्यक्त किया, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना।

5. अंबेडकर का सामाजिक समानता और न्याय के लिए दृष्टिकोण (**Ambedkar's Vision for Social Equality and Justice**):

- भूमिका: संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष। दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के प्रबल समर्थक।
- मूल सिद्धांत: जाति का उन्मूलन, सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक क्रांति के साधन के रूप में संवैधानिकवाद, मुक्ति के उपकरण के रूप में मौलिक अधिकार।
- संविधान पर प्रभाव:
 - मौलिक अधिकार: भेदभाव से लड़ने वाले मजबूत मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में सहायक (अनुच्छेद 15: भेदभाव का निषेध; अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन; अनुच्छेद 19: स्वतंत्रता; अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार)।
 - निदेशक सिद्धांत: राजनीतिक लोकतंत्र के पूरक के रूप में सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र और एक कल्याणकारी राज्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में निदेशक सिद्धांतों की वकालत की।
 - आरक्षण: ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए शिक्षा, रोजगार और विधायिकाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का समर्थन किया (अनुच्छेद 15(4), 16(4), 330, 332, 335)।
 - "संवैधानिक नैतिकता": सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए संविधान की भावना का पालन करने पर जोर दिया, न कि केवल अक्षर का।

D. आंदोलन से प्रमुख प्रस्ताव और दस्तावेज़:

कई प्रस्तावों और दस्तावेजों ने संवैधानिक सुधारों और स्व-शासन की मांगों को व्यक्त किया।

1. मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट (1928) – भारतीय संविधान के लिए एक खाका (**Motilal Nehru Report - 1928 – Blueprint for an Indian Constitution**):

- संदर्भ: लॉर्ड बिकर्नहेड की भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती की प्रतिक्रिया।
- समिति: मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू सचिव के रूप में।
- प्रावधान (मुख्य सिफारिशें):
 - डोमिनियन स्टेटस: भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की (पूर्ण स्वतंत्रता नहीं)।
 - मौलिक अधिकार: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संघ बनाने का अधिकार, और अंतरात्मा की स्वतंत्रता सहित 19 मौलिक अधिकारों की एक सूची की परिकल्पना की।
 - संयुक्त निर्वाचक मंडल: अलग निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया और अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल की वकालत की।

- संघीय संरचना: एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय संरचना का प्रस्ताव किया।
 - सरकार का संसदीय स्वरूप: एक उत्तरदायी सरकार के साथ एक संसदीय प्रणाली की वकालत की।
 - धर्मनिरपेक्ष राज्य: एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए प्रावधान, जिसमें कोई राज्य धर्म नहीं होगा।
 - महत्व: भारतीयों द्वारा एक व्यापक संवैधानिक ढांचा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास, जिसने अंतिम संविधान के कई प्रावधानों, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया।
2. लाहौर अधिवेशन (1929) – पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) की मांग (**Lahore Session - 1929 – Demand for Purna Swaraj (Complete Independence)**):
- अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू।
 - संकल्प: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 'पूर्ण स्वराज' (पूर्ण स्वतंत्रता) को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया।
 - महत्व: राष्ट्रवादी उद्देश्य को डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण संप्रभुता में बदल दिया, भविष्य के आंदोलनों और संविधान सभा के कार्य के लिए एक सच्चे स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए टोन सेट किया। 26 जनवरी 1930 को 'पूर्ण स्वराज दिवस' घोषित किया गया।
3. कराची प्रस्ताव (1931) – मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम (**Karachi Resolution - 1931 – Fundamental Rights and Economic Programme**):
- अध्यक्ष: सरदार वल्लभभाई पटेल।
 - संदर्भ: गांधी-इरविन समझौते के तुरंत बाद आयोजित।
 - प्रावधान:
 - 'पूर्ण स्वराज' के लक्ष्य को दोहराया।
 - मौलिक अधिकारों की एक व्यापक सूची (जैसे, भाषण, प्रेस, सभा की स्वतंत्रता; कानून के समक्ष समानता; संघ बनाने का अधिकार; अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा का संरक्षण) निर्धारित की।
 - एक आर्थिक कार्यक्रम (जैसे, न्यूनतम मजदूरी, काम की स्वस्थ परिस्थितियाँ, महिलाओं और बच्चों का संरक्षण, प्रमुख उद्योगों का राज्य स्वामित्व, भूमि सुधार, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा) की रूपरेखा तैयार की।
 - महत्व: इस प्रस्ताव ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों (भाग III) और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (भाग IV) को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिसमें कांग्रेस की प्रतिबद्धता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए भी थी।
4. "अगस्त प्रस्ताव" (1940) (**"August Offer" - 1940**):
- संदर्भ: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तावित।
 - प्रावधान:
 - वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार जिसमें अधिक भारतीय शामिल होंगे।
 - युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना (लेकिन मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा)।
 - डोमिनियन स्टेटस लक्ष्य के रूप में।
 - अल्पसंख्यकों को उचित महत्व।
 - भारतीय प्रतिक्रिया: कांग्रेस (तत्काल राष्ट्रीय सरकार की मांग की) और मुस्लिम लीग (विभाजन चाहती थी) दोनों ने अस्वीकार कर दिया।
 - महत्व: हालांकि अस्वीकृत कर दिया गया, यह पहली बार था जब ब्रिटिश ने आधिकारिक तौर पर मुख्य रूप से भारतीयों से बनी एक संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया।
5. वेवेल योजना (1945) (**Wavell Plan - 1945**):
- संदर्भ: शिमला सम्मेलन विफल होने के बाद राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तावित।
 - प्रावधान:

- वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन जिसमें वायसराय और कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर सभी भारतीय सदस्य शामिल होंगे।
 - हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व।
 - एक नए संविधान तक अंतरिम सरकार।
- महत्व: सांप्रदायिक असहमति के कारण विफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता से पहले शक्ति साझा करने और बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण, हालांकि असफल, प्रयास प्रस्तुत किया।

सारांश सारणी: प्रमुख दस्तावेज़ और उनका संवैधानिक प्रभाव

दस्तावेज़/संकल्प	वर्ष	मुख्य विशेषताएँ	संवैधानिक प्रभाव
मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट	1928	डोमिनियन स्टेटस, मौलिक अधिकार, संयुक्त निर्वाचक मंडल, संघवाद, संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता	मौलिक अधिकारों (भाग III) का खाका, संसदीय लोकतंत्र, संघीय संरचना, धर्मनिरपेक्ष राज्य
लाहौर अधिवेशन संकल्प	1929	पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) की मांग	प्रस्तावना (संप्रभु गणराज्य), राष्ट्रीय पहचान
कराची प्रस्ताव	1931	व्यापक मौलिक अधिकार, आर्थिक कार्यक्रम	मौलिक अधिकार (भाग III), राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (भाग IV)
"अगस्त प्रस्ताव"	1940	भारतीय निर्मित संविधान सभा की पहली ब्रिटिश स्वीकृति	संविधान सभा का गठन
वेवेल योजना	1945	समान हिंदू-मुस्लिम प्रतिनिधित्व के साथ शक्ति साझा करने का प्रयास	सांप्रदायिक मुद्दे को उजागर किया, स्पष्ट विभाजन योजना की आवश्यकता को सूचित किया
उद्देश्य प्रस्ताव	1946	मौलिक दर्शन निर्धारित किया: संप्रभु, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता	संविधान की प्रस्तावना

संविधान सभा, जिसने अंततः दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच संविधान का मसौदा तैयार किया, इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इन संचित अनुभवों, बहसों और बलिदानों का एक उत्पाद थी। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के आदर्श, जो आंदोलन की प्रेरक शक्ति थे, भारतीय संविधान के वास्तुकारों के लिए मार्गदर्शक सितारे बन गए।

III. संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण

संविधान के मसौदे को तैयार करने की यात्रा संविधान सभा की स्थापना के साथ शुरू हुई, जिसने स्वतंत्र भारत के शासन के हर पहलू पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

A. संविधान सभा का गठन और संरचना:

भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय (M.N. Roy) द्वारा 1934 में रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे 1935 में आधिकारिक तौर पर मांग की। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' (August Offer) में इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। अंततः, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan) ने इसके गठन का ढाँचा प्रदान किया।

1. कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत:

- आधार: सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था।
- योजना की मुख्य विशेषताएं:
 - कुल सदस्य संख्या: 389 सदस्य।
 - सीटों का विभाजन:
 - 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित किए गए थे (जो निर्वाचित होने थे)।
 - 93 सदस्य रियासतों को आवंटित किए गए थे (जो रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किए जाने थे)।
 - 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांतों (दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कूर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान) से थे।
 - चुनाव की विधि (ब्रिटिश भारत): ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने थे।
 - आनुपातिक प्रतिनिधित्व: प्रत्येक प्रांत और रियासत (या छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह) को उसकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गईं, मोटे तौर पर प्रति दस लाख जनसंख्या पर एक सीट।
 - समुदाय-आधारित चुनाव (ब्रिटिश भारत): प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को तीन मुख्य समुदायों - मुस्लिम, सिख और सामान्य (हिंदू और अन्य सभी) - के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया।
- चुनावों का परिणाम (जुलाई-अगस्त 1946):
 - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीतीं।
 - मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीतीं।
 - छोटे समूहों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 15 सीटें हासिल कीं।
 - रियासतें शुरू में बड़े पैमाने पर दूर रहीं, इसलिए उनकी 93 सीटें खाली रहीं।

2. विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व:

- सभा में भारतीय समाज के लगभग सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे: हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs), और महिलाएं।
- प्रांतीय सीटों के आवंटन के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया था।
- हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं थे।

3. प्रमुख सदस्य और उनकी भूमिकाएँ: संविधान सभा में कई प्रख्यात व्यक्तित्व शामिल थे जिन्होंने संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद: संविधान सभा के अध्यक्ष। उन्होंने बहसों की अध्यक्षता की और कार्यवाही का मार्गदर्शन किया।

- जवाहरलाल नेहरू: भारत के पहले प्रधानमंत्री। उन्होंने 13 दिसंबर, 1946 को 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) पेश किया, जिसने बाद में प्रस्तावना का रूप लिया। उन्होंने संघ शक्ति समिति (Union Powers Committee) और संघ संविधान समिति (Union Constitution Committee) की अध्यक्षता की।
- सरदार वल्लभभाई पटेल: प्रांतीय संविधान समिति (Provincial Constitution Committee) और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र सलाहकार समिति (Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, and Tribal and Excluded Areas) की अध्यक्षता की। उन्होंने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर: प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष। उन्हें 'भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार' के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। विभिन्न संविधानों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी गहरी समझ महत्वपूर्ण थी।
- बी.एन. राव (B.N. Rau): संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। उन्होंने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया।
- अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर (Alladi Krishnaswami Ayyar), एन. गोपालस्वामी अय्यंगार (N. Gopalaswami Ayyangar), के.एम. मुंशी (K.M. Munshi), सैयद मोहम्मद सादुल्ला (Syed Mohammad Saadullah), टी.टी. कृष्णामाचारी (T.T. Krishnamachari), डी.पी. खैतान (D.P. Khaitan) (उनके निधन पर टी.टी. कृष्णामाचारी द्वारा प्रतिस्थापित), एन. माधव राव (N. Madhava Rau) (बी.एल. मित्र की जगह): प्रारूप समिति के अन्य प्रमुख सदस्य।
- एच.सी. मुखर्जी (H.C. Mukherjee): संविधान सभा के उपाध्यक्ष।
- प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा (Prem Behari Narain Raizada): वह सुलेखक (calligrapher) जिन्होंने मूल संविधान को हस्तलिखित किया था।

B. संविधान सभा की कार्यप्रणाली:

सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न चरणों और समितियों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से कार्य किया।

1. पहला सत्र और उद्देश्य प्रस्ताव (1946):

- पहली बैठक: संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, और एक अलग पाकिस्तान राज्य पर जोर दिया।
- अंतरिम अध्यक्ष: फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए, सबसे पुराने सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (Dr. Sachchidananda Sinha) को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
- स्थायी अध्यक्ष: 11 दिसंबर, 1946 को, डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
- उद्देश्य प्रस्ताव: 13 दिसंबर, 1946 को, जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया। इस प्रस्ताव ने संविधान के लिए मूलभूत दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए। इसने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया, जिसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की गारंटी दी गई।
- उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाना: उद्देश्य प्रस्ताव को सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इसने संविधान की प्रस्तावना के अंतिम स्वरूप को प्रभावित किया।

2. विभिन्न समितियों की भूमिका: संविधान सभा ने संविधान के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए कई समितियों को नियुक्त किया। ये समितियाँ दो प्रकार की थीं: प्रमुख समितियाँ और लघु समितियाँ।

- प्रमुख समितियाँ (और उनके अध्यक्ष):

- प्रारूप समिति (अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अंबेडकर): सबसे महत्वपूर्ण समिति, 29 अगस्त, 1947 को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित की गई थी। इसमें सात सदस्य शामिल थे।

- संघ शक्ति समिति (अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू)
- संघ संविधान समिति (अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू)
- प्रांतीय संविधान समिति (अध्यक्ष: सरदार वल्लभभाई पटेल)
- मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र सलाहकार समिति (अध्यक्ष: सरदार वल्लभभाई पटेल): इस समिति में पाँच उप-समितियाँ थीं, जिनमें शामिल हैं:
 - मौलिक अधिकार उप-समिति (अध्यक्ष: जे.बी. कृपलानी)
 - अल्पसंख्यक उप-समिति (अध्यक्ष: एच.सी. मुखर्जी)
 - उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति (अध्यक्ष: गोपीनाथ बारदोलोई)
 - बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के अलावा) उप-समिति (अध्यक्ष: ए.वी. ठक्कर)
- प्रक्रिया नियम समिति (अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद)
- राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति) (अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू)
- संचालन समिति (अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद)
- लघु समितियाँ: इसमें संविधान सभा के कार्यों पर समिति, सदन समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति आदि समितियाँ शामिल थीं।
- मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया:
 - बी.एन. राव ने विभिन्न समितियों की रिपोर्टों के आधार पर प्रारंभिक मसौदा तैयार किया।
 - डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति ने इस मसौदे की सावधानीपूर्वक जांच की, बहसों की और 'संविधान का पहला मसौदा' तैयार किया जिसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था।
 - भारत के लोगों को मसौदे पर चर्चा करने और संशोधन प्रस्तावित करने के लिए आठ महीने का समय दिया गया था।
 - सार्वजनिक टिप्पणियों, आलोचनाओं और सुझावों के आलोक में, प्रारूप समिति ने 'दूसरा मसौदा' तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था।
 - प्रारूप समिति ने 114 दिनों में 141 बैठकें कीं।

C. संविधान सभा द्वारा सामना की गई प्रमुख बहसों और चुनौतियाँ:

संविधान निर्माण की प्रक्रिया गहन बहसों और महत्वपूर्ण चुनौतियों से चिह्नित थी, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र के विविध दृष्टिकोणों और जटिलताओं को दर्शाती है।

1. संघवाद बनाम एकात्मक प्रणाली (**Federalism vs. Unitary System**):

- बहस: सदस्यों ने इस बात पर बहस की कि क्या भारत को मजबूत राज्यों के साथ पूरी तरह से संघीय प्रणाली (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका) को अपनाना चाहिए, या एक मजबूत केंद्र के साथ एकात्मक प्रणाली को अपनाना चाहिए। विभाजन के अनुभव और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता ने एक मजबूत केंद्र पर जोर दिया।
- परिणाम: संविधान ने एक 'अर्ध-संघीय' (quasi-federal) या 'मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय' (federal with a strong unitary bias) संरचना को अपनाया। जबकि इसमें संघीय विशेषताएं हैं (शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता), इसमें एकात्मक विशेषताएं भी हैं (मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं)। डॉ. अंबेडकर ने भारत की प्रणाली को "एक मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ" के रूप में प्रसिद्ध रूप से वर्णित किया।
- संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 245-255 (विधायी संबंध), सातवीं अनुसूची (संघ, राज्य, समवर्ती सूचियाँ)।

2. मौलिक अधिकार बनाम निदेशक सिद्धांत (**Fundamental Rights vs. Directive Principles**):

- बहस: अधिकारों की प्रवर्तनीयता (enforceability) के इर्द-गिर्द एक बड़ी बहस घूमती थी। क्या सभी अधिकार न्यायसंगत (न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य) होने चाहिए या कुछ गैर-न्यायसंगत मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए?
- परिणाम: सभा ने अधिकारों की दो श्रेणियां अपनाई:
 - मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12-35): न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय, राज्य पर नकारात्मक दायित्व। अमेरिकी अधिकार विधेयक (US Bill of Rights) से प्रभावित।
 - राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (भाग IV, अनुच्छेद 36-51): गैर-न्यायसंगत, राज्य पर सकारात्मक दायित्व, कल्याणकारी राज्य की दिशा में शासन का मार्गदर्शन करने का इरादा। आयरिश संविधान से प्रभावित।
- आपसी संबंध: प्रारंभ में, मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता दी गई थी। हालांकि, केशवानंद भारती मामले (Kesavananda Bharati case) (1973) और मिनर्वा मिल्स मामले (Minerva Mills case) (1980) के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण है, और निदेशक सिद्धांत शासन के लिए मौलिक हैं।

3. धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकार (**Secularism and Minority Rights**):

- बहस: विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा के आघात को देखते हुए, धर्म के साथ राज्य के संबंध की प्रकृति पर व्यापक बहस हुई। क्या भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए या इसे अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए?
- परिणाम: भारत ने 'सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता' (positive secularism) (या सर्व धर्म समभाव) के मॉडल को अपनाया, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है और किसी का भी पक्ष नहीं लेता है।
 - अल्पसंख्यक अधिकार (अनुच्छेद 29-30): अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी, जिसमें शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार शामिल है।
 - धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28): अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचारित करने का अधिकार गारंटीकृत है।
 - 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया था, जिससे यह प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।

4. भाषा का मुद्दा (**Language Issue**):

- बहस: एक विवादास्पद मुद्दा एक आधिकारिक भाषा का चुनाव था। कई लोगों द्वारा हिंदी को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन गैर-हिंदी भाषी राज्यों (विशेषकर दक्षिण से) ने हिंदी के थोपने का कड़ा विरोध किया।
- परिणाम: संविधान ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा (अनुच्छेद 343) के रूप में अपनाया, लेकिन संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान किया। इसने आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) में 14 क्षेत्रीय भाषाओं (अब 22) को भी मान्यता दी। यह मुद्दा संवेदनशील बना हुआ है और इसके कारण आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act, 1963) बना।

5. पंचायती राज और स्थानीय स्व-शासन (**Panchayati Raj and Local Self-Governance**):

- बहस: जबकि गांधी ने ग्राम गणराज्यों और विकेंद्रीकरण (ग्राम स्वराज) की वकालत की, डॉ. अंबेडकर शुरु में संदेह में थे, उन्होंने गांवों में जाति-आधारित असमानताओं का हवाला दिया।
- परिणाम: पंचायती राज का विचार एक निदेशक सिद्धांत (Directive Principle) (अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन) के रूप में शामिल किया गया था, जो एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है लेकिन इसे तुरंत न्यायसंगत नहीं बनाता है।
- विकास: इस सिद्धांत को बाद में 1992 के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों (73rd and 74th Amendment Acts of 1992) के माध्यम से संवैधानिक दर्जा और शक्ति दी गई, जिसने संविधान में भाग IX (पंचायतें) और भाग IXA (नगरपालिकाएँ) को जोड़ा, जिससे एक त्रि-स्तरीय सरकार संरचना स्थापित हुई।

6. आपातकालीन प्रावधान (*Emergency Provisions*):

- बहस: व्यापक आपातकालीन प्रावधानों (जर्मनी के वीमर संविधान से प्रभावित) को शामिल करने से संभावित अधिनायकवाद और संघवाद को कमजोर करने के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। हालांकि, निर्माताओं ने उन्हें संकट के समय नवजात राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्थिरता की रक्षा के लिए आवश्यक माना।
- परिणाम: भाग XVIII (अनुच्छेद 352-360) आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित हैं:
 - राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह।
 - राज्य आपातकाल/राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356): राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता।
 - वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360): भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण के लिए खतरा।
- सुरक्षा उपाय: हालांकि व्यापक, प्रावधानों को संसदीय अनुमोदन तंत्र के साथ डिज़ाइन किया गया था, हालांकि बाद के दशकों में उनके दुरुपयोग से न्यायिक जांच और परिवर्तन हुए (उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 352 के लिए 44वां संशोधन अधिनियम, 1978; अनुच्छेद 356 के लिए एस.आर. बोम्मई मामला, 1994)।

7. रियासतों का एकीकरण (*Integration of Princely States*):

- चुनौती: कैबिनेट मिशन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को भारत, पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। इसने भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की।
- सरदार पटेल की भूमिका: सरदार वल्लभभाई पटेल ने वी.पी. मेनन की सहायता से लगभग सभी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के लिए कूटनीति (विलय के दस्तावेजों पर बातचीत) और बल (जुनागढ़, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई; कश्मीर में सैन्य कार्रवाई) के संयोजन का उपयोग करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- संवैधानिक परिणाम: संविधान ने शुरू में राज्यों को उनकी एकीकरण स्थिति (भाग बी राज्य, आदि) के आधार पर अंतर किया था, लेकिन इन भेदों को बाद में 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganisation Act) के माध्यम से हटा दिया गया था। ऐतिहासिक विखंडन के बावजूद एक एकल, एकीकृत भारत का विचार संविधान के लिए केंद्रीय था।

D. संविधान को अपनाना और लागू करना:

संविधान निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी लेकिन गहन कवायद थी।

1. संविधान-निर्माण प्रक्रिया की अवधि:

- संविधान सभा को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।
- इसमें 11 सत्र हुए और 165 दिनों तक विचार-विमर्श किया गया।
- कुल खर्च लगभग ₹64 लाख आया।

2. अपनाना और लागू करने की तिथियाँ:

- अपनाना: 26 नवंबर, 1949 को, संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया और अधिनियमित किया गया। इस दिन, नागरिकता, चुनाव, अनंतिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों और लघु शीर्षक (अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393) से संबंधित कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो गए।
- लागू करना: संविधान का प्रमुख हिस्सा 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। इस तिथि को संविधान के 'प्रारंभ की तिथि' (Date of Commencement) के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे गणतंत्र दिवस (Republic Day) के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को विशेष रूप से चुना गया था क्योंकि इस दिन 1930 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था।

- संक्रमणकालीन प्रावधान: संविधान के लागू होने के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 को निरस्त कर दिया गया। प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम (1949) को भी निरस्त कर दिया गया।

3. प्रस्तावना, इसका दर्शन और महत्व:

- प्रस्तावना (Preamble) 'संविधान का पहचान पत्र' (एन.ए. पालकीवाला) और 'संविधान की आत्मा' (ठाकुर दास भार्गव) है। यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है।
- प्रस्तावना के प्रमुख शब्द:
 - संप्रभु (Sovereign): भारत किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भरता या प्रभुत्व नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है।
 - समाजवादी (Socialist): (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) सामाजिक और आर्थिक समानता, धन के समान वितरण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
 - धर्मनिरपेक्ष (Secular): (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है।
 - लोकतांत्रिक (Democratic): लोग चुनावों के माध्यम से व्यक्ति की गई लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं।
 - गणराज्य (Republic): राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं।
 - न्याय (Justice): सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। (रूसी क्रांति से लिया गया)।
 - स्वतंत्रता (Liberty): विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की। (फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया)।
 - समानता (Equality): स्थिति और अवसर की। (फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया)।
 - बंधुत्व (Fraternity): व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। (फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया)। (अखंडता 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया)।
- महत्व:
 - यह मूलभूत दर्शन और मौलिक मूल्यों (राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक) को समाहित करता है जिस पर संविधान आधारित है।
 - इसमें संविधान सभा की भव्य और महान दृष्टि शामिल है।
 - यह संविधान निर्माताओं के मन को खोलने की कुंजी के रूप में कार्य करता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसकी 'मूल संरचना' (Basic Structure) को बदला नहीं जा सकता है।

चित्र: संविधान निर्माण प्रक्रिया का प्रवाह

कैबिनेट मिशन योजना (1946)

V

संविधान सभा का गठन (नवंबर 1946)



IV. भारतीय संविधान की विशेषताएँ: औपनिवेशिक विरासत और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिबिंब

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विभिन्न विश्व संविधानों से प्रावधानों को सावधानीपूर्वक चुना और अनुकूलित किया, जबकि इसमें ऐसी अनूठी विशेषताएँ भी अंतर्निहित कीं जो भारत के सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ और उसके भविष्य के दृष्टिकोण को दर्शाती थीं।

A. उधार ली गई विशेषताएँ और प्रभाव:

संविधान के निर्माताओं ने भारत की अनूठी चुनौतियों और आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए अन्य संविधानों से तत्वों को बुद्धिमानी से शामिल किया। यह प्रक्रिया, जिसे अक्सर "उधार" (borrowing) कहा जाता है, केवल नकल नहीं, बल्कि एक विचारशील अनुकूलन (thoughtful adaptation) थी।

1. भारत सरकार अधिनियम 1935 (प्रमुख स्रोत):

- प्रभाव: यह अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण खाका (blueprint) के रूप में कार्य किया, जिसने भारतीय संविधान के लगभग दो-तिहाई प्रावधानों को प्रदान किया। इसका प्रभाव संविधान के संरचनात्मक विवरणों में स्पष्ट है।
- उधार ली गई विशेषताएँ:
 - संघीय योजना (Federal Scheme): मजबूत केंद्र के साथ संघवाद का मूल ढाँचा, हालांकि अधिनियम द्वारा प्रस्तावित "अखिल भारतीय संघ" (All-India Federation) पूरी तरह से साकार नहीं हुआ, फिर भी शक्तियों के वितरण की इसकी अवधारणा को अपनाया गया था।
 - राज्यपाल का कार्यालय (Office of Governor): राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित प्रावधान (अनुच्छेद 153) बड़े पैमाने पर इस अधिनियम से लिए गए हैं।
 - न्यायपालिका (Judiciary): 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की संरचना और शक्तियों को प्रभावित किया।
 - लोक सेवा आयोग (Public Service Commissions): यूपीएससी (UPSC) और एसपीएससी (SPSCs) के प्रावधान (अनुच्छेद 315-323) संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों से प्राप्त हुए हैं जो अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए थे।
 - आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions): हालांकि इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, आपातकालीन शक्तियों का मूल विचार इस अधिनियम से उत्पन्न हुआ।
 - प्रशासनिक विवरण (Administrative Details): शक्तियों के वितरण के लिए विभिन्न सूचियों सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक विवरणों को अपनाया गया था।

2. ब्रिटिश संविधान (संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता):

- प्रभाव: ब्रिटिश संसदीय प्रथाओं और कानूनी परंपराओं के लंबे अनुभव ने भारत की राजनीतिक प्रणाली को गहराई से आकार दिया।
- उधार ली गई विशेषताएँ:
 - सरकार की संसदीय प्रणाली (Parliamentary System of Government): वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाना, जिसमें एक नाममात्र (राष्ट्रपति) और एक वास्तविक कार्यकारी (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी) होता है। (अनुच्छेद 74, 75, 163, 164)।
 - कानून का शासन (Rule of Law): सिद्धांत कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सभी कानून के सामने समान हैं। (अनुच्छेद 14)।
 - विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure): संसद में कानून बनाने की प्रक्रियाएँ।
 - एकल नागरिकता (Single Citizenship): एक एकात्मक विशेषता जो यह सुनिश्चित करती है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, किसी विशिष्ट राज्य का नहीं। (अनुच्छेद 5-11)।
 - मंत्रिमंडल प्रणाली (Cabinet System): मंत्रिमंडल की संरचना और कार्यप्रणाली।

- विशेषाधिकार रिट (Prerogative Writs): बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari), और अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) जैसे रिट (अनुच्छेद 32, 226)।
 - संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges): संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त अधिकार और उन्मुक्तियाँ।
 - द्विसदनीयता (Bicameralism): संसद के दो सदन (लोकसभा और राज्यसभा)।
3. अमेरिकी संविधान (मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका):
- प्रभाव: व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक मजबूत, स्वतंत्र न्यायपालिका पर अमेरिकी मॉडल का जोर निर्माताओं को पसंद आया।
 - उधार ली गई विशेषताएँ:
 - मौलिक अधिकार (Fundamental Rights): नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले प्रवर्तनीय अधिकारों की एक व्यापक सूची। (भाग III, अनुच्छेद 12-35)।
 - न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति कि वे उन कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। यह अवधारणा न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से विकसित हुई, विशेष रूप से शंकरी प्रसाद (1951) और गोलकनाथ (1967) जैसे मामलों में, जो केशवानंद भारती (1973) में 'मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) की स्थापना के साथ समाप्त हुई।
 - न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary): यह सुनिश्चित करना कि न्यायपालिका कार्यकारी या विधायी हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सके। (अनुच्छेद 124, 217)।
 - राष्ट्रपति का महाभियोग (Impeachment of the President): राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। (अनुच्छेद 61)।
 - सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना: (अनुच्छेद 124(4), 217(1))।
 - उपराष्ट्रपति का पद (Post of Vice-President): (अनुच्छेद 63)।
4. आयरिश संविधान (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत):
- प्रभाव: गैर-न्यायसंगत सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की अवधारणा को आयरिश मॉडल से अनुकूलित किया गया था।
 - उधार ली गई विशेषताएँ:
 - राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy - DPSP): राज्य के लिए कल्याणकारी राज्य स्थापित करने और सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश। (भाग IV, अनुच्छेद 36-51)।
 - राष्ट्रपति के चुनाव की विधि (Method of Election of the President): (अनुच्छेद 55)।
 - राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन: (अनुच्छेद 80(3))।
5. कनाडाई संविधान (मजबूत केंद्र वाला संघवाद):
- प्रभाव: भारत की संघीय संरचना, हालांकि रूप में संघीय है, एक मजबूत केंद्र सरकार की ओर झुकती है, यह विशेषता कनाडा से उधार ली गई है।
 - उधार ली गई विशेषताएँ:
 - मजबूत केंद्र वाला संघवाद (Federation with a Strong Centre): शक्तियों का वितरण एक शक्तिशाली संघ सरकार सुनिश्चित करता है। (अनुच्छेद 245-255)।
 - अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित (Residuary Powers vested in the Centre): तीनों सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) में से किसी में भी सूचीबद्ध नहीं की गई शक्तियाँ संघ से संबंधित हैं। (अनुच्छेद 248)।
 - केंद्र द्वारा राज्य राज्यपालों की नियुक्ति: (अनुच्छेद 155)।
 - सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction of the Supreme Court): (अनुच्छेद 143)।
6. ऑस्ट्रेलियाई संविधान (समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता):

- प्रभाव: विधायी शक्तियों के वितरण और आर्थिक सिद्धांतों में अंतर्दृष्टि प्रदान की।
- उधार ली गई विशेषताएँ:
 - समवर्ती सूची (Concurrent List): विषयों की एक सूची जिस पर संघ और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, संघर्ष की स्थिति में संघ का कानून मान्य होगा। (सातवीं अनुसूची)।
 - व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता (Freedom of Trade, Commerce, and Intercourse): (अनुच्छेद 301-307)।
 - संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting of the two Houses of Parliament): (अनुच्छेद 108)।

7. जर्मन संविधान (वीमर संविधान) (आपातकालीन प्रावधान):

- प्रभाव: आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान।
- उधार ली गई विशेषताएँ:
 - आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन: (अनुच्छेद 358, 359)। हालांकि, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 में यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है।

8. दक्षिण अफ्रीकी संविधान (संशोधन की प्रक्रिया):

- प्रभाव: संविधान में संशोधन की प्रक्रिया।
- उधार ली गई विशेषताएँ:
 - संविधान में संशोधन की प्रक्रिया: (अनुच्छेद 368)।
 - राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव: (अनुच्छेद 80(4))।

9. फ्रांसीसी संविधान (गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श):

- प्रभाव: प्रस्तावना में निहित आदर्श।
- उधार ली गई विशेषताएँ:
 - गणराज्य (Republic): राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है।
 - प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श (Ideals of Liberty, Equality, and Fraternity in the Preamble): इन शक्तिशाली आदर्शों ने भारतीय संविधान के दार्शनिक मूल को गहराई से प्रभावित किया।

सारणी: उधार ली गई विशेषताओं पर एक नज़र

स्रोत देश/अधिनियम	प्रमुख उधार ली गई विशेषताएँ	प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान/अवधारणाएँ
भारत सरकार अधिनियम 1935	संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान (मूल विचार), प्रशासनिक विवरण	अनुच्छेद 153, 315-323, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, संघवाद, विभिन्न अनुसूचियाँ

ब्रिटिश संविधान	संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, द्विसदनीयता	अनुच्छेद 74, 75, 14, 5-11, 32, 226, संसदीय विशेषाधिकार
अमेरिकी संविधान	मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद	भाग III (अनुच्छेद 12-35), मूल संरचना सिद्धांत (केशवानंद भारती, 1973), अनुच्छेद 124, 217, 61, 63
आयरिश संविधान	राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राज्यसभा सदस्य नामांकन	भाग IV (अनुच्छेद 36-51), अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 80(3)
कनाडाई संविधान	मजबूत केंद्र वाला संघवाद, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार	अनुच्छेद 245-255, 248, 155, 143
ऑस्ट्रेलियाई संविधान	समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, संसद की संयुक्त बैठक	सातवीं अनुसूची, अनुच्छेद 301-307, अनुच्छेद 108
जर्मन (वीमर) संविधान	आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन	अनुच्छेद 358, 359 (44वें संशोधन के साथ)
दक्षिण अफ्रीकी संविधान	संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव	अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 80(4)
फ्रांसीसी संविधान	गणराज्य, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श	प्रस्तावना

B. अद्वितीय भारतीय योगदान और नवाचार:

उधार ली गई विशेषताओं से परे, भारतीय संविधान में कई विशिष्ट विशेषताएं हैं जो भारत के अनूठे ऐतिहासिक संदर्भ, राष्ट्रवादी आकांक्षाओं और इसके निर्माताओं की बुद्धिमत्ता से उत्पन्न हुई हैं।

1. कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण:

- अवधारणा: भारतीय संविधान न तो पूरी तरह से कठोर है (जैसे अमेरिकी संविधान, जिसे संशोधन के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है) और न ही पूरी तरह से लचीला है (जैसे ब्रिटिश संविधान, जिसे सामान्य कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है)।

- नवाचार: यह विभिन्न प्रकार की संशोधन प्रक्रियाएं (अनुच्छेद 368) प्रदान करता है:
 - संसद के साधारण बहुमत द्वारा (कुछ छोटे प्रावधानों के लिए)।
 - संसद के विशेष बहुमत द्वारा (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और कुल सदस्यता का बहुमत)।
 - संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन (संघीय प्रावधानों के लिए)।
- महत्व: यह मिश्रण बदलते समय के अनुकूलन की अनुमति देता है जबकि इसके मूल सिद्धांतों की रक्षा करता है, स्थिरता प्रदान करता है बिना गतिरोध के।

2. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार:

- अवधारणा: जाति, पंथ, लिंग या धन के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान करना।
- नवाचार: भारत ने शुरुआत से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) को अपनाया, तब भी जब कई विकसित देशों ने अपने सभी नागरिकों को पूरी तरह से मतदान का अधिकार नहीं दिया था (जैसे स्विट्जरलैंड में महिलाओं को 1971 में ही पूर्ण मतदान का अधिकार मिला)।
- महत्व: यह एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम था, जिसने सामान्य भारतीय नागरिक में गहरा विश्वास दिखाया और वास्तव में प्रतिनिधि लोकतंत्र की नींव रखी। मूल मतदान की आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

3. एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका:

- अवधारणा: संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी न्यायिक प्रणाली (अलग संघीय और राज्य न्यायालय) के विपरीत, भारत में एक एकल, एकीकृत न्यायपालिका है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उसके बाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं।
- नवाचार: यह एकीकरण पूरे देश में कानून और न्याय की एकरूपता सुनिश्चित करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षित की जाती है: न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर शुल्क, विधायिका में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, आदि।
- महत्व: यह मौलिक अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है, इसके संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

4. न्यायिक समीक्षा द्वारा संयमित संसदीय संप्रभुता:

- अवधारणा: ब्रिटेन में, संसद संप्रभु है (कोई न्यायिक समीक्षा नहीं)। संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यायिक सर्वोच्चता मौजूद है (अदालतें किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं)। भारत ने एक संश्लेषण अपनाया।
- नवाचार: भारतीय संसद अपने विधायी क्षेत्र के भीतर संप्रभु है, लेकिन इसके कानून सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। इसी तरह, जबकि न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा कर सकती है, इसकी शक्ति निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है (केशवानंद भारती मामले, 1973 से मूल संरचना सिद्धांत के अधीन)।
- महत्व: यह एक नाजुक संतुलन बनाता है, जो विधायिका या न्यायपालिका को निरंकुश बनने से रोकता है, यह सुनिश्चित करता है कि जाँच और संतुलन बना रहे।

5. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP):

- अवधारणा: जबकि आयरलैंड से उधार लिया गया है, उनकी व्यापक प्रकृति और भारत की अनूठी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के अनुकूल एक कल्याणकारी राज्य पर जोर उन्हें एक विशिष्ट भारतीय योगदान बनाता है।
- नवाचार: ये गैर-न्यायसंगत सिद्धांत राज्य के लिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र (अनुच्छेद 36-51) प्राप्त करने के लिए एक नैतिक और संवैधानिक दिशा-सूचक प्रदान करते हैं। उनका उद्देश्य एक 'पुलिस राज्य' के बजाय एक 'कल्याणकारी राज्य' स्थापित करना है।

- महत्व: वे संविधान की सामाजिक-आर्थिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं और स्वतंत्रता के बाद कई विधायी और कार्यकारी कार्यों का मार्गदर्शन करते रहे हैं, जिसका उद्देश्य अधिक न्यायसंगत समाज बनाना है।

6. मौलिक कर्तव्य:

- अवधारणा: जबकि मौलिक अधिकार बताते हैं कि नागरिक राज्य से क्या उम्मीद कर सकते हैं, मौलिक कर्तव्य यह निर्दिष्ट करते हैं कि नागरिकों से राष्ट्र के लिए क्या करने की अपेक्षा की जाती है।
- नवाचार: 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की सिफारिशों पर संविधान में जोड़े गए, ये 10 कर्तव्य (अब 11, बच्चों की शिक्षा से संबंधित 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11वां जोड़ा गया) गैर-न्यायसंगत हैं। (भाग IVA, अनुच्छेद 51A)।
- महत्व: वे नागरिकों को लगातार याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का आनंद लेते हुए, उनके समाज और राष्ट्र के प्रति भी दायित्व हैं।

7. त्रि-स्तरीय सरकार (पंचायती राज और नगरपालिकाएँ):

- अवधारणा: अधिकांश संघों में आमतौर पर सरकार के दो स्तर होते हैं (केंद्रीय और राज्य)। भारत ने विशिष्ट रूप से तीसरा, स्थानीय स्तर अपनाया।
- नवाचार: जबकि शुरुआत में एक DPSP (अनुच्छेद 40) के रूप में उल्लेख किया गया था, इसे 1992 के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
 - 73वां संशोधन अधिनियम, 1992: भाग IX (पंचायतें) और ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा, जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रावधान करता है।
 - 74वां संशोधन अधिनियम, 1992: भाग IXA (नगरपालिकाएँ) और बारहवीं अनुसूची को जोड़ा, जो शहरी स्थानीय स्वशासन का प्रावधान करता है।
- महत्व: इसने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संस्थागत रूप दिया, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया और सहभागी शासन को बढ़ावा दिया, जो 'ग्राम स्वराज' के गांधीवादी आदर्श का प्रतिबिंब है।

संक्षेप में, भारतीय संविधान संश्लेषण की एक उत्कृष्ट कृति है, जो वैश्विक संवैधानिक अनुभवों को स्वदेशी ज्ञान और अद्वितीय नवाचारों के साथ कुशलता से मिलाकर एक विशाल और विविध राष्ट्र के लिए एक मजबूत और गतिशील ढाँचा तैयार करता है।

